

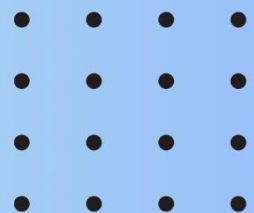


हमारा संविधान हमारा अधिकार



2025

समाज के कमजोर वर्गों को शिक्षित और
सशक्त बनाने के लिए, **मज़दूर किसान विकास
संस्थान** और **ईवा फाउंडेशन** की एक पहल ।



पाठकों के लिए एक संदेश

प्रिय पाठकों,

आपके हाथों में यह पुस्तिका केवल पत्रों का संग्रह नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण प्रयास है जो आपको अपने संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी देने के उद्देश्य से तैयार की गई है। हमारा मानना है कि जब हर नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझता है, तभी एक न्यायपूर्ण, समान और सशक्त समाज का निर्माण संभव होता है।



मजदूर किसान विकास संस्थान हमेशा से ऐसी पहलों के लिए प्रतिबद्ध रहा है, जो नागरिकों को सशक्त बनाएं और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। इस पुस्तिका को तैयार करने में हमारी यही भावना काम कर रही थी — एक ऐसा संसाधन उपलब्ध कराना जो सरल हो, सुलभ हो और हर व्यक्ति के लिए उपयोगी हो।

इस पुस्तिका के माध्यम से, हमारा उद्देश्य आपको उन मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी देना है, जो आपको न केवल एक जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं बल्कि आपको अन्याय के खिलाफ खड़ा होने की ताकत भी देते हैं। यह पुस्तक न केवल आपको संविधान के मूल सिद्धांतों से परिचित कराएगी, बल्कि आपको अपने जीवन में न्याय, समानता और गरिमा के महत्व को समझने और आत्मसात करने में भी मदद करेगी।

हम उन सभी व्यक्तियों और संगठनों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, जिनके मार्गदर्शन और सहयोग के बिना यह प्रयास संभव नहीं हो पाता। हमें विश्वास है कि यह पुस्तिका आपके लिए ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनेगी और आपको अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझने में मदद करेगी।

हम आपको इस पुस्तिका का अधिकतम लाभ उठाने के लिए आमंत्रित करते हैं। यदि आप इससे प्रेरित होकर अपने अधिकारों की रक्षा करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कोई कदम उठाते हैं, तो हमारा प्रयास सफल होगा।

आपका विश्वास और समर्थन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। आइए, हम मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं, जहाँ हर व्यक्ति न्याय, समानता और गरिमा के साथ जी सके।

अधिवक्ता सविता अली

डायरेक्टर,

मजदूर किसान विकास संस्थान (एम. के. वी. एस.)

आभार

इस पुस्तिका के निर्माण में जिनका योगदान रहा है, हम उनके प्रति हृदय से आभार प्रकट करना चाहते हैं। यह पुस्तिका तैयार करने का सफर कई लोगों के मार्गदर्शन, सहयोग और कड़ी मेहनत के बिना संभव नहीं हो पाता। हम इस अवसर पर उन सभी व्यक्तियों और संस्थाओं का आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जिन्होंने इस पुस्तिका को आकार देने में अपना अमूल्य समय, ज्ञान और संसाधन प्रदान किए।

हम विशेष रूप से **ईवा फाउंडेशन** का धन्यवाद करना चाहते हैं, जिनके सतत सहयोग और प्रोत्साहन ने इस पुस्तिका को वास्तविकता में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी निरंतर मार्गदर्शक भूमिका और सहयोग के लिए हम उनके आभारी हैं। उनके समर्थन ने इस पुस्तिका की गुणवत्ता और सामग्री को और अधिक उपयोगी और प्रभावशाली बनाया।

हम विशेष रूप से **डॉ. सदानंद बाग** (Ph.D., JNU, New Delhi), एक स्वतंत्र शोधकर्ता, और **श्री भानु प्रताप** का आभार प्रकट करना चाहते हैं, जिनके विचारों और दृष्टिकोण ने इस पुस्तिका की परिकल्पना को साकार रूप दिया। उनके बहुमूल्य सुझावों ने पुस्तिका की संरचना और उद्देश्य को स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ ही, हम **नवनीत चंद्र**, (LL.M.) जो वर्तमान में शोध और प्रलेखन पद पर कार्यरत हैं, के प्रति विशेष आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने इस पुस्तिका में शामिल सामग्री को एकत्र करने, व्यवस्थित करने और इसे उपयोगी स्वरूप में प्रस्तुत करने में सराहनीय भूमिका निभाई। उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के बिना यह कार्य संभव नहीं हो पाता। अन्ततः हम **एडवोकेट मोहम्मद शाहरुख खान**, (विधिक अधिकारी, ईवा फाउंडेशन), के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने पूरे दस्तावेज़ का प्रूफरीडिंग कर इसे बेहतर बनाने में सहयोग दिया।

अतः, हम उन सभी अनाम नायकों का धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रयास में योगदान दिया। उनकी हर छोटी-बड़ी मदद ने इस पुस्तिका को और अधिक उपयोगी और प्रभावशाली बनाया है। यह आभार केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि उनके प्रति हमारी सच्ची कृतज्ञता का प्रतीक है।

हम आशा करते हैं कि यह पुस्तिका अपने उद्देश्य को पूरा करने में सफल होगी और पाठकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने में सहायक सिद्ध होगी।

मजदूर किसान विकास संस्थान

(एम. के. वी. एस.)

पुस्तिका का उद्देश्य

भारत का संविधान हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण कानून है, जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों पर आधारित है। यह देश के शासन की दिशा तय करता है और हर नागरिक के अधिकारों और कर्तव्यों को सुनिश्चित करता है। डॉ. भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बने इस संविधान में भारत के लोगों की आशाओं और सपनों को जगह दी गई है। 26 नवंबर 1949 को इसे स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। यह संविधान मानव गरिमा, समानता और कानून के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

इस पुस्तिका का उद्देश्य यह है कि भारत के हर नागरिक को संविधान और उसमें दिए गए अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी हो। इसमें मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों जैसे महत्वपूर्ण विषयों को सरल और साफ भाषा में समझाया गया है। इसका मकसद यह है कि हर व्यक्ति अपने अधिकारों को पहचाने, उनका इस्तेमाल करना सीखे और अपने कर्तव्यों को समझते हुए देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाए।

यह पुस्तिका हर नागरिक के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है, जो उन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी देती है। इसमें समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार और न्याय पाने के अधिकार को आसान शब्दों में समझाया गया है। जब लोग अपने अधिकारों को जान लेते हैं, तो वे अन्याय का विरोध कर सकते हैं, गलतियों के लिए जवाबदेही की माँग कर सकते हैं और समाज में बराबरी और न्याय के मूल्यों को मजबूत कर सकते हैं। साथ ही, यह पुस्तिका हर नागरिक को यह याद दिलाती है कि सिर्फ अधिकारों का उपयोग करना ही नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को निभाना भी जरूरी है ताकि एक शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण और प्रगतिशील समाज का निर्माण हो सके।

यह प्रस्तावना पाठकों से यह अपील करती है कि वे संविधान को केवल एक कानून की किताब के रूप में न देखें, बल्कि इसे एक ऐसा माध्यम मानें, जो हमारे रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करता है। इस पुस्तिका के जरिये संवैधानिक जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया है, ताकि न्याय, समानता और मानव गरिमा के मूल्य केवल आदर्श बनकर न रहें, बल्कि सभी के जीवन का हिस्सा बनें। यह हर नागरिक के लिए एक आह्वान है कि वे एक न्यायपूर्ण और समान भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं।

भारतीय संविधान सम्बंधित कुछ रोचक तत्व

- संविधान एक ऐसा प्रमुख दस्तावेज है, जो देश के शासन, नागरिकों के अधिकारों, कर्तव्यों और सरकार की कार्यप्रणाली के नियमों को निर्धारित करता है।
- भारतीय संविधान को दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान माना जाता है।
- मूल रूप से, 26 नवंबर, 1949 को अपनाए गए संविधान में एक प्रस्तावना, 22 भागों में 395 लेख और 8 अनुसूचियां थीं। अब 1950 में इसके अधिनियमन के बाद से 106 संशोधनों के कारण भारत के संविधान में 25 भागों में 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं।
- इसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को कानूनी रूप से लागू किया गया था, जिस दिन को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में चिह्नित और मनाया जाता है।
- भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉ. बी. आर. अंबेडकर हैं, जिन्हें बाबासाहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है।
- देश की स्वतंत्रता के बाद, 29 अगस्त 1947 को, संविधान सभा द्वारा एक मसौदा समिति की स्थापना की गई थी जिसमें सात सदस्य शामिल थे, जिसमें डॉ बी आर अंबेडकर को समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था।
- भारत के संविधान ने अपने अधिकांश प्रावधानों को विभिन्न अन्य देशों के संविधानों के साथ-साथ 1935 के भारत सरकार अधिनियम से उधार लिया है।
- संविधान के निर्माण में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे।
- भारतीय संविधान की मूल प्रतियां टाइप या मुद्रित नहीं की गई थीं। उन्हें हस्तलिखित किया गया है और अब संसद के पुस्तकालय के भीतर हीलियम से भरे केस में रखा गया है।
- भारत का संविधान मूल रूप से दो भाषाओं, अर्थात् अंग्रेजी और हिंदी में लिखा गया था, और संविधान सभा के प्रत्येक सदस्य ने दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे।

संविधान के रचैता: डॉ. भीम राव अंबेडकर

अंबेडकर की विचारधारा

बी.आर. अंबेडकर एक प्रमुख भारतीय समाज सुधारक, न्यायविद, राजनीतिज्ञ और भारतीय संविधान के वास्तुकार थे। उनकी विचारधारा, जिसे अक्सर **अंबेडकरवाद** के रूप में जाना जाता है, सामाजिक न्याय और समानता के संघर्ष में गहराई से निहित है, विशेष रूप से समाज के हाशिए वाले वर्गों, विशेष रूप से दलितों (जिन्हें पहले "अछूत" कहा जाता था) के लिए।



अंबेडकर की विचारधारा के प्रमुख सिद्धांतों में शामिल हैं:

- **सामाजिक न्याय:** अंबेडकर ने जाति, पंथ या लिंग की परवाह किए बिना सभी के लिए सामाजिक न्याय और समानता की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने भेदभाव और उत्पीड़न से मुक्त समाज की वकालत की।
- **शिक्षा:** उनका मानना था कि शिक्षा सशक्तिकरण और सामाजिक गतिशीलता की कुंजी है। अंबेडकर ने सार्वभौमिक शिक्षा और सभी के लिए, विशेष रूप से हाशिए के समुदायों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुंच की वकालत की।
- **आरक्षण:** उन्होंने हाशिए के समुदायों के लिए अवसर प्रदान करने और शिक्षा और रोजगार में उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण जैसी सकारात्मक कार्रवाई नीतियों का समर्थन किया।
- **भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में,** अंबेडकर ने यह सुनिश्चित किया कि इसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों को शामिल किया जाए, जबकि हाशिए के समुदायों की चिंताओं को भी संबोधित किया जाए।
- **जातिवाद विरोधी:** अंबेडकर जाति व्यवस्था के प्रबल आलोचक थे और इसके उन्मूलन की वकालत करते थे। उनका मानना था कि जाति सामाजिक असमानता और भेदभाव का स्रोत है।
- **संघवाद:** उन्होंने राज्यों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिये सरकार की एक संघीय प्रणाली का समर्थन किया।
- **आर्थिक न्याय:** अंबेडकर ने आर्थिक न्याय और संसाधनों के समान वितरण की आवश्यकता पर भी बल दिया।

अंबेडकर की विचारधारा का भारतीय समाज और राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उनकी विरासत सामाजिक न्याय और समानता के लिए आंदोलनों को प्रेरित करती है।

विषय-सूची

I. हमारा संविधान	1
प्रस्तावना (Preamble)	1
प्रस्तावना क्या है?	2
मौलिक अधिकार	3
मौलिक कर्तव्य	14
राज्य के नीति निर्देशक तत्व (DPSP)	15
II. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के तहत गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार	17
गिरफ्तारी, एफआईआर, बयान और चिकित्सा परीक्षा के संदर्भ में BNSS की मुख्य विशेषताएं:.....	17
III. शक्ति का पृथक्करण (Separation of Power).....	21
IV. भारतीय न्यायिक प्रणाली की संरचना	23
विवाद समाधान के अन्य तंत्र (Dispute Resolution Mechanisms)	25
V. बिहार पीड़ित मुआवजा योजना, 2019.....	27
VI. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989	30
VII. मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013	34
मैनुअल स्कैवेंजिंग: एक मानवाधिकार उल्लंघन	34
मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013	34
आलोचनात्मक विश्लेषण और खामियां:.....	35
VIII. बिहार में महिलाओं के लिए सभी हेल्पलाइन की सूची.....	37
IX. डॉ. बी.आर. अंबेडकर का संविधान सभा में अंतिम भाषण का सारांश.....	42

I. हमारा संविधान

प्रस्तावना (Preamble)



हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न,
समाजवादी, धर्म निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को:
सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक

न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की

स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की

समता,

प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली,

बंधुता

बढ़ाने के लिए, दृढ़ संकल्प होकर

अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ई० को एतद् द्वारा इस संविधान को

अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

प्रस्तावना क्या है?

प्रस्तावना एक पुस्तक के परिचय या प्रस्तावना की तरह है। यह भारतीय संविधान की आत्मा है, जिसमें वह दर्शन समाहित है जिस पर पूरा संविधान बनाया गया है। प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को दो तरीकों से समझाती है: (i) शासन की संरचना के बारे में, (ii) स्वतंत्र भारत में प्राप्त किए जाने वाले आदर्शों के बारे में।

प्रस्तावना के मुख्य अंश

1. संविधान के प्राधिकार का स्त्रोत भारत के लोगों के पास है।
2. भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया।
3. प्रस्तावना द्वारा बताए गए उद्देश्य सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करना और राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए भाईचारे को बढ़ावा देना है।
4. इसे 26 नवंबर, 1949 को अपनाया गया था।

प्रस्तावना में मुख्य शब्द

1. **संप्रभु:** प्रस्तावना द्वारा घोषित 'संप्रभु' शब्द का अर्थ है कि भारत का अपना स्वतंत्र अधिकार है और यह किसी अन्य बाहरी शक्ति का प्रभुत्व नहीं है। देश में, विधायिका के पास कानून बनाने की शक्ति है जो कुछ सीमाओं के अधीन है।
2. **समाजवादी:** 'समाजवादी' शब्द को 42वें संशोधन, 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था जिसका अर्थ है कि समाजवादी की उपलब्धि लोकतांत्रिक साधनों के माध्यम से समाप्त होती है। यह मूल रूप से एक 'लोकतांत्रिक समाजवाद' है जो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है जहां निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र साथ-साथ रहते हैं।
3. **धर्मनिरपेक्ष:** 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द को 42वें संवैधानिक संशोधन, 1976 द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया था, जिसका अर्थ है कि भारत में सभी धर्मों को राज्य से समान सम्मान, संरक्षण और समर्थन मिलता है।
4. **लोकतांत्रिक:** 'लोकतांत्रिक' शब्द का अर्थ है कि भारत के संविधान में संविधान का एक स्थापित रूप है जो चुनाव में व्यक्त लोगों की इच्छा से अपना अधिकार प्राप्त करता है।
5. **गणतंत्र:** 'गणतंत्र' शब्द इंगित करता है कि राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है। भारत में, राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है और वह अप्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है।

मौलिक अधिकार

(भाग-III, संविधान का अनुच्छेद 12-35)

समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14 से 18)

अनुच्छेद 14: कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण को सुनिश्चित करता है।

- **कानून के समक्ष समानता:** यह सिद्धांत गारंटी देता है कि सभी व्यक्तियों को कानून द्वारा समान रूप से व्यवहार किया जाता है, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति, जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान कुछ भी हो। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है।
- **कानूनों का समान संरक्षण:** यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि कानून बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू हों। यह राज्य को ऐसे कानून बनाने से रोकता है जो लोगों के विभिन्न समूहों के साथ अलग-अलग व्यवहार करते हैं।

अनुच्छेद 14 भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है, यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों के साथ कानून के तहत उचित और न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाए। यह एक न्यायसंगत और समतामूलक समाज के लिए आवश्यक है।

अनुच्छेद 15: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर किसी भी नागरिक के खिलाफ राज्य द्वारा भेदभाव का निषेध करता है।

- **धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध:** यह सिद्धांत राज्य को कोई भी कानून बनाने से रोकता है जो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के खिलाफ भेदभाव करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों के पास समान अवसर हैं और इन कारकों के आधार पर सार्वजनिक सुविधाओं या सेवाओं तक पहुंच से वंचित नहीं हैं।
- **राज्य धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर सुविधाओं से इनकार नहीं कर सकता है:** यह सिद्धांत राज्य को किसी भी नागरिक को धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर राज्य द्वारा बनाए गए सार्वजनिक स्थानों या सुविधाओं तक पहुंच से वंचित करने से रोकता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों की सार्वजनिक सेवाओं और सुविधाओं तक समान पहुंच हो।

अनुच्छेद 15 भेदभाव के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है, यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाए और उन्हें समान अवसर प्राप्त हों। यह एक न्यायसंगत और समतामूलक समाज के लिए आवश्यक है।

अनुच्छेद 16: सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता

यह सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता की गारंटी देता है। यह सुनिश्चित करना चाहता है कि सभी नागरिकों, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान कुछ भी हो, को सरकारी नौकरियों को सुरक्षित करने के समान अवसर हों।

अनुच्छेद 16 के मुख्य पहलू:

- **अवसर की समानता:** अनुच्छेद 16 राज्य को ऐसा कोई भी कानून या व्यवहार बनाने से रोकता है जो सार्वजनिक रोज़गार या राज्य के तहत कार्यालयों में नियुक्तियों से संबंधित मामलों में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के खिलाफ भेदभाव करता है।
- **आरक्षण:** ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करने और यह सुनिश्चित करने के लिये कि हाशिए के समुदायों का सार्वजनिक रोज़गार में पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, अनुच्छेद 16 सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिये आरक्षण करने की अनुमति देता है। हालांकि, ये आरक्षण उचित होना चाहिए और कुल रिक्तियों के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।
- **रोजगार के मामले में भेदभाव का निषेध:** अनुच्छेद 16 राज्य के तहत रोजगार से संबंधित मामलों में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के खिलाफ भेदभाव करने से राज्य को रोकता है। यह सुनिश्चित करता है कि भर्ती और पदोन्नति प्रक्रिया में सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाए।

अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में भेदभाव के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है, यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को राष्ट्र की सेवा करने के समान अवसर मिलें। यह एक अधिक समावेशी और न्यायसंगत समाज के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता का उन्मूलन

यह स्पष्ट रूप से अस्पृश्यता को समाप्त करता है। यह एक ऐतिहासिक प्रावधान है जिसका उद्देश्य सदियों से भारतीय समाज को त्रस्त करने वाली गहरी सामाजिक बुराई को मिटाना है।

अनुच्छेद 17 के मुख्य पहलू:

- **अस्पृश्यता का उन्मूलन:** अनुच्छेद 17 घोषित करता है कि अस्पृश्यता को समाप्त और निषिद्ध किया गया है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति या जन्म के आधार पर भेदभाव या सामाजिक बहिष्कार के अधीन नहीं किया जाएगा।
- **अस्पृश्यता का अभ्यास करने के लिए सजा:** अस्पृश्यता की प्रथा को कानून द्वारा दंडनीय बनाया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि जो लोग अस्पृश्यता का अभ्यास करना जारी रखते हैं उन्हें उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाता है।

अनुच्छेद 17 एक अधिक समावेशी और न्यायसंगत समाज के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सामाजिक भेदभाव को खत्म करने और यह सुनिश्चित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का एक वसीयतनामा है कि सभी नागरिकों के साथ गरिमा और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाता है।

अनुच्छेद 18: उपाधियों का उन्मूलन

यह राज्य द्वारा प्रदत्त उपाधियों और सम्मानों को समाप्त करता है। इसका उद्देश्य समानता को बढ़ावा देना और वंशानुगत उपाधियों या सम्मानों के आधार पर एक वर्ग प्रणाली के निर्माण को रोकना है।

अनुच्छेद 18 के मुख्य पहलू:

- **उपाधियों का उन्मूलन:** अनुच्छेद 18 राज्य को कोई भी उपाधि या सम्मान प्रदान करने से रोकता है। यह वंशानुगत शीर्षकों के आधार पर एक सामाजिक पदानुक्रम के निर्माण को रोकता है।
- **विदेशी उपाधियों की स्वीकृति का निषेध:** अनुच्छेद 18 भारत के किसी भी नागरिक को राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान स्वीकार करने से भी रोकता है।

अनुच्छेद 18 समानता को बढ़ावा देने और वंशानुगत उपाधियों या सम्मानों के आधार पर एक वर्ग प्रणाली के निर्माण को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह एक लोकतांत्रिक और समतावादी समाज के निर्माण के लिए भारत की प्रतिबद्धता का एक वसीयतनामा है।

स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19 से 22)

अनुच्छेद 19: भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कुछ अधिकारों का संरक्षण

भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। यह लोकतांत्रिक शासन की आधारशिला है, यह सुनिश्चित करना कि व्यक्तियों को अपने विचारों और विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार है।

मुख्य पहलू:

- **भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता:** इसमें स्वतंत्र रूप से बोलने, लिखने, प्रकाशित करने और संवाद करने का अधिकार शामिल है। यह व्यक्तियों को राजनीति, धर्म और सामाजिक मुद्दों सहित विभिन्न मामलों पर अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति देता है।
- **उचित प्रतिबंध:** जबकि अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, यह राज्य को सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता, या भारत की संप्रभुता, अखंडता या सुरक्षा के हित में उचित प्रतिबंध लगाने की भी अनुमति देता है। ये प्रतिबंध बताए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आनुपातिक और आवश्यक होने चाहिए।
- **विशिष्ट अधिकार:** यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित विशिष्ट अधिकारों की भी गारंटी देता है, जैसे:
 - शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार।
 - संघ या संघ बनाने का अधिकार।
 - पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार।

- भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने का अधिकार।
- किसी भी पेशे या व्यवसाय करने का अधिकार।

अनुच्छेद 19 एक जीवंत और लोकतांत्रिक समाज के लिए आवश्यक है, जिससे व्यक्तियों को सार्वजनिक प्रवचन में सार्थक रूप से भाग लेने और अपनी सरकारों को जवाबदेह ठहराने की अनुमति मिलती है। यह एक मौलिक अधिकार है जिसे अनुचित प्रतिबंधों से संरक्षित किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 20: अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण

यह अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है। यह व्यक्तियों को दोहरे खतरे, पूर्वव्यापी कानूनों और आत्म-उत्पीड़न से बचाने का प्रयास करता है।

मुख्य पहलू:

- **दोहरा खतरा:** यह खंड किसी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिये एक से अधिक बार मुकदमा चलाने और दंडित होने से रोकता है। यह राज्य को एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति पर बार-बार मुकदमा चलाने से रोकता है।
- **पूर्व पोस्ट फैक्टो कानून:** यह खंड उन कानूनों के अधिनियमन को प्रतिबंधित करता है जो पूर्वव्यापी रूप से उन कृत्यों का अपराधीकरण करते हैं जो उस समय अपराध नहीं थे जब वे प्रतिबद्ध थे। यह व्यक्तियों को उन कार्यों के लिए दंडित होने से बचाता है जो प्रदर्शन के समय वैध थे।
- **आत्म-दोषारोपण:** यह खंड व्यक्तियों को आपराधिक कार्यवाही में स्वयं के खिलाफ साक्ष्य देने के लिए मजबूर होने से बचाता है। यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्तियों को चुप रहने और खुद को दोषी न ठहराने का अधिकार है।

अनुच्छेद 20 व्यक्तिगत अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है, यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्तियों को अनुचित या अन्यायपूर्ण कानूनी कार्यवाही के अधीन नहीं किया जाता है। यह निष्पक्षता, न्याय और उचित प्रक्रिया के सिद्धांतों को कायम रखता है।

अनुच्छेद 21: प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण

यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। अदालतों द्वारा अधिकारों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करने के लिए इसकी व्याख्या की गई है, जिसमें शामिल हैं:

- **जीने का अधिकार:** अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत सबसे बुनियादी अधिकार जीने का अधिकार है। इसमें हिंसा, यातना और मनमाने ढंग से जीवन से वंचित होने का अधिकार शामिल है।
- **व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार:** इसमें स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने का अधिकार, निजता का अधिकार और मनमानी हिरासत से मुक्त होने का अधिकार शामिल है।
- **गरिमा का अधिकार:** गरिमा का अधिकार अनुच्छेद 21 में निहित है। इसमें सम्मान के साथ व्यवहार करने और भेदभाव से मुक्त होने का अधिकार शामिल है।

- **स्वास्थ्य का अधिकार:** स्वास्थ्य के अधिकार को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के एक हिस्से के रूप में मान्यता दी गई है। इसमें चिकित्सा देखभाल तक पहुंचने और बीमारियों से मुक्त होने का अधिकार शामिल है।
- **शिक्षा का अधिकार:** जबकि शिक्षा के अधिकार की अब अनुच्छेद 21A द्वारा स्पष्ट रूप से गारंटी दी गई है, संशोधन से पहले अनुच्छेद 21 में भी इसका उल्लेख किया गया था।

वर्षों से, अदालतों ने अधिकारों की एक विस्तृत श्रृंखला की रक्षा के लिए अनुच्छेद 21 के दायरे का विस्तार किया है। इसने इसे भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से एक बना दिया है।

अनुच्छेद 21A: शिक्षा का अधिकार

शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी देता है। इसे 2002 में 86वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में डाला गया था।

प्रमुख बिंदु:

- **मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा:** अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा।
- **कोई भेदभाव नहीं:** प्रदान की जाने वाली शिक्षा वर्ग, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के बिना होनी चाहिए।
- **राज्य की जिम्मेदारी:** शिक्षा प्रदान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य की है, यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच हो।

यह संशोधन यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था कि भारत में प्रत्येक बच्चे को उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले।

अनुच्छेद 22: कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण।

यह गिरफ्तारी और नजरबंदी से संबंधित कुछ सुरक्षा प्रदान करता है। यह गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के अधिकारों को सुनिश्चित करता है, और यह उन शर्तों को भी रेखांकित करता है जिनके तहत सरकार लोगों को गिरफ्तार या हिरासत में ले सकती है। यहाँ एक साधारण टूटना है:

1. गिरफ्तार किए गए लोगों के अधिकार

- **सूचना का अधिकार:** जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है, तो उन्हें उनकी गिरफ्तारी का कारण बताया जाना चाहिए।
- **वकील का अधिकार:** व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने और बचाव करने का अधिकार है।
- **मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार:** गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर, व्यक्ति को मजिस्ट्रेट (एक कानूनी प्राधिकरण) के सामने लाया जाना चाहिए।

- **लंबी हिरासत के खिलाफ सुरक्षा:** मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना किसी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता है।
- 2. **निवारक निरोध**
निवारक निरोध का मतलब है कि सरकार अपराध करने से पहले किसी को गिरफ्तार कर सकती है यदि उन्हें लगता है कि व्यक्ति कुछ हानिकारक कर सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ नियम हैं:
 - एक व्यक्ति को बिना मुकदमे के अधिकतम 3 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है, लेकिन 3 महीने के बाद, एक सलाहकार बोर्ड को निरोध की समीक्षा करनी चाहिए।
 - व्यक्ति को उनकी नजरबंदी के कारणों को जानने का अधिकार है, लेकिन अगर यह सार्वजनिक सुरक्षा को प्रभावित करता है, तो सरकार सभी विवरणों को साझा नहीं कर सकती है।

अनुच्छेद 22 व्यक्तियों को गलत गिरफ्तारी से बचाने और यह सुनिश्चित करने के लिए है कि सरकार कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करती है। यह कुछ सुरक्षा उपाय प्रदान करता है, लेकिन सरकार को सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए विशिष्ट परिस्थितियों में व्यक्तियों को हिरासत में लेने की भी अनुमति देता है।

शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 से 24)

अनुच्छेद 23: मानव तस्करी और बलात् श्रम का प्रतिषेध

यह व्यक्तियों को शोषण से बचाता है और कुछ प्रथाओं को प्रतिबंधित करता है जो मानव गरिमा का उल्लंघन करते हैं।

प्रमुख बिंदु:

1. **मानव तस्करी का निषेध:** यह स्पष्ट रूप से मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है, जिसमें शोषण के लिये लोगों की खरीद और बिक्री शामिल है, जैसे कि जबरन श्रम या वेश्यावृत्ति।
2. **जबरन श्रम का निषेध:** यह लेख "भिखारी" (जबरन श्रम का एक रूप) और जबरन या बंधुआ श्रम के अन्य रूपों को भी प्रतिबंधित करता है। किसी भी व्यक्ति को उचित मुआवजे के बिना उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।
3. **कोई भेदभाव नहीं:** यह लेख जाति, वर्ग या लिंग की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है।
4. **राज्य द्वारा थोपी गई सेवा के लिये अपवाद:** राज्य लोगों को जनहित में कुछ सेवाओं (जैसे सैन्य सेवा या सार्वजनिक कर्तव्यों) को करने के लिये मजबूर कर सकता है, लेकिन धर्म, नस्ल, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव के बिना।

सरल शब्दों में:

अनुच्छेद 23 आपको उचित भुगतान के बिना तस्करी या श्रम में मजबूर होने से बचाता है। सेना में सेवा करने जैसी सार्वजनिक सेवा को छोड़कर कोई भी आपसे आपकी इच्छा के विरुद्ध काम नहीं करवा सकता है, और फिर भी, यह निष्पक्ष रूप से और बिना भेदभाव के किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 24: कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का निषेध

यह खतरनाक नौकरियों में उनके रोजगार पर प्रतिबंध लगाकर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

प्रमुख बिंदु:

1. **खतरनाक कार्य में बाल श्रम का अभाव:** 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों या किसी अन्य खतरनाक कार्य में नियोजित नहीं किया जा सकता है जो उनके स्वास्थ्य या विकास को नुकसान पहुँचा सकते हैं।
2. **बाल कल्याण पर ध्यान दें:** लेख को शोषण को रोकने और बच्चों को हानिकारक कार्य वातावरण से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो उनके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण को प्रभावित कर सकते हैं।
3. **बाल अधिकार कानूनों का पूरक:** यह प्रावधान बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 जैसे अन्य कानूनों के अनुरूप है, जो बच्चों के लिये शिक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

अनुच्छेद 24 खतरनाक नौकरियों में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों या स्थानों पर नियोजित नहीं किया जा सकता है जो उनके स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं।

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 से 28)

अनुच्छेद 25: अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र व्यवसाय, अभ्यास और प्रचार।

प्रत्येक व्यक्ति को कुछ सीमाओं के अधीन, अपने धार्मिक विश्वासों का स्वतंत्र रूप से पालन करने, अपने धर्म का अभ्यास करने और दूसरों के साथ साझा करने का अधिकार देता है।

प्रमुख बिंदु:

1. **धर्म की स्वतंत्रता:** प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। इसका मतलब है कि आप अपने विश्वास व्यक्त कर सकते हैं, धार्मिक अनुष्ठान और अपने विश्वासों को दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं।
2. **उचित प्रतिबंध:** सरकार इन अधिकारों को निम्नलिखित के हित में सीमित कर सकती है:
 - सार्वजनिक व्यवस्था
 - नैतिकता
 - स्वास्थ्यये प्रतिबंध सुनिश्चित करते हैं कि धार्मिक प्रथाएं समाज की शांति या कल्याण को भंग न करें।

3. **सभी धर्मों के लिए समान अधिकार:** अनुच्छेद सभी धर्मों (धर्मनिरपेक्षता) के समान उपचार की गारंटी देता है, जिसका अर्थ है कि राज्य द्वारा किसी भी धर्म को दूसरे पर वरीयता नहीं दी जाती है।
4. **राज्य का अधिकार:** राज्य निम्नलिखित को विनियमित करने वाले कानून बना सकता है:
 - धार्मिक प्रथाओं से जुड़ी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधियाँ।
 - सामाजिक कल्याण और सुधार, जैसे अस्पृश्यता को समाप्त करना या सभी समुदायों के लिए धार्मिक संस्थानों को खोलना।

अनुच्छेद 25 आपको अपने द्वारा चुने गए किसी भी धर्म में विश्वास करने और उसका पालन करने की अनुमति देता है, और यहां तक कि इसे दूसरों के साथ साझा भी करता है, जब तक कि यह सार्वजनिक व्यवस्था या स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचाता है। सरकार धार्मिक प्रथाओं को विनियमित कर सकती है यदि वे समाज को प्रभावित करते हैं।

अनुच्छेद 26: धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता

यह धार्मिक संप्रदायों या समूहों को अपने स्वयं के धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता देता है।

प्रमुख बिंदु:

1. **संस्थानों की स्थापना का अधिकार:** धार्मिक समूहों को धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिये संस्थानों की स्थापना और रख-रखाव का अधिकार है।
2. **स्वयं के मामलों का प्रबंधन:** वे अपने स्वयं के धार्मिक मामलों का प्रबंधन कर सकते हैं, जिसमें धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन करना और धार्मिक उद्देश्यों के लिए समर्पित संपत्तियों और संसाधनों का प्रबंधन करना शामिल है।
3. **संपत्ति का प्रशासन:** धार्मिक समूह अपने धर्म के लिए संपत्ति का अधिग्रहण और प्रबंधन कर सकते हैं, लेकिन संपत्ति के प्रबंधन का उनका अधिकार भूमि के कानूनों के अधीन है।
4. **सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता:** अनुच्छेद 25 की तरह, यह स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है, जिसका अर्थ है कि धार्मिक समूह ऐसी गतिविधियों में संलग्न नहीं हो सकते हैं जो शांति को भंग करती हैं या कानूनों का उल्लंघन करती हैं।

अनुच्छेद 26 धार्मिक समूहों को अपने स्वयं के धार्मिक संस्थानों को बनाने और प्रबंधित करने, उन्हें अपनी मान्यताओं के अनुसार चलाने और अपनी संपत्ति को नियंत्रित करने की अनुमति देता है, जब तक कि वे कानूनों का पालन करते हैं और समाज को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं।

अनुच्छेद 27: किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के भुगतान के बारे में स्वतंत्रता।

यह सुनिश्चित करता है कि राज्य नागरिकों को किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं करता है।

प्रमुख बिंदु:

1. कोई धार्मिक कर नहीं: सरकार कोई भी कर नहीं लगा सकती है, जिसकी आय का उपयोग किसी विशेष धर्म या धार्मिक संस्थान को बढ़ावा देने या बनाए रखने के लिए किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि करों के माध्यम से एकत्र किए गए सार्वजनिक धन का उपयोग धार्मिक गतिविधियों या संस्थानों का समर्थन करने के लिए नहीं किया जाता है।
2. राज्य की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति: यह भारतीय राज्य के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर जोर देती है, जिसका अर्थ है कि सरकार को करदाताओं के पैसे का उपयोग करके किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेना चाहिए या धन नहीं देना चाहिए।

अनुच्छेद 27 का अर्थ है कि सरकार किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए आपके कर के पैसे का उपयोग नहीं कर सकती है। आपके कर सार्वजनिक सेवाओं के लिए हैं, धार्मिक गतिविधियों के लिए नहीं।

अनुच्छेद 28: कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता।

यह स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा के बारे में नियमों की रूपरेखा तैयार करता है।

प्रमुख बिंदु:

1. **राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थान:** सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित स्कूलों या शैक्षणिक संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है।
2. **आंशिक रूप से सहायता प्राप्त संस्थान:** यदि कोई स्कूल या संस्थान आंशिक रूप से राज्य द्वारा वित्त पोषित है, लेकिन एक निजी संस्था द्वारा भी, धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है, लेकिन छात्रों को भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।
3. **निजी संस्थान:** स्कूल या शैक्षणिक संस्थान जो निजी तौर पर वित्त पोषित हैं या धार्मिक समूहों द्वारा चलाए जाते हैं, धार्मिक शिक्षा प्रदान कर सकते हैं।
4. **माता-पिता की सहमति:** राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त लेकिन निजी निकायों द्वारा प्रशासित संस्थानों में, किसी भी छात्र को धार्मिक पूजा या निर्देश में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है जब तक कि उनके माता-पिता या अभिभावक सहमति न दें।

सरकार द्वारा वित्त पोषित स्कूलों में, धार्मिक शिक्षा निषिद्ध है। आंशिक रूप से वित्त पोषित स्कूलों में, छात्रों को धार्मिक कक्षाओं में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। निजी धार्मिक स्कूलों में, धार्मिक शिक्षाएं प्रदान की जा सकती हैं, लेकिन सहमति के बिना भागीदारी लागू नहीं की जा सकती है।

सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29 से 30)

अनुच्छेद 29: अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण।

यह लेख भाषा, लिपि या संस्कृति के आधार पर किसी भी समूह, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करने पर केंद्रित है।

प्रमुख बिंदु:

1. **संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार:** भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को एक अलग भाषा, लिपि या संस्कृति रखने का अधिकार है। इसका मतलब है कि अल्पसंख्यक समुदायों के लोग दमन के डर के बिना अपनी परंपराओं, भाषा और संस्कृति को बढ़ावा दे सकते हैं और उनकी रक्षा कर सकते हैं।
2. **शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं:** इसमें यह भी कहा गया है कि किसी भी नागरिक को धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर राज्य द्वारा बनाए गए किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है।

यह अल्पसंख्यक समूहों को उनकी संस्कृति, भाषा और परंपराओं की रक्षा करने का अधिकार देता है, और यह सुनिश्चित करता है कि उनके पास बिना किसी भेदभाव के शिक्षा तक समान पहुंच हो।

अनुच्छेद 30: शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार।

यह अनुच्छेद विशेष रूप से अल्पसंख्यकों को अपने स्वयं के शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित करने और प्रबंधित करने का अधिकार देता है।

प्रमुख बिंदु:

1. **संस्थानों की स्थापना का अधिकार:** यह धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति, भाषा या धर्म को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए अपने स्वयं के स्कूल या कॉलेज स्थापित करने और चलाने का अधिकार देता है।
2. **राज्य सहायता:** यदि राज्य अन्य शैक्षणिक संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, तो यह अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित संस्थानों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है।

अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपने स्वयं के स्कूलों या कॉलेजों को स्थापित करने और प्रबंधित करने की अनुमति देता है, और यदि सरकार स्कूलों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, तो उसे अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित संस्थानों के खिलाफ भेदभाव के बिना समान रूप से ऐसा करना चाहिए।

संवैधानिक उपचार का अधिकार (अनुच्छेद 32)

अनुच्छेद 32: इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार।

यह एक व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। सर्वोच्च न्यायालय प्रदत्त किसी भी अधिकार के प्रवर्तन के लिए निर्देश या आदेश या विभिन्न प्रकार की रिट जारी कर सकता है।

प्रमुख बिंदु:

1. **संवैधानिक उपचार का अधिकार:** यह किसी भी व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिये सर्वोच्च न्यायालय जाने की अनुमति देता है। अदालत के पास इन अधिकारों को बहाल करने की शक्ति है।

2. **न्यायालय द्वारा जारी रिट:** सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिये रिट जारी कर सकता है। ये रिट हैं:
- **Habeas Corpus:** अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करना।
 - **Mandamus:** किसी सरकारी अधिकारी या प्राधिकारी को अपना कर्तव्य करने का निर्देश देना।
 - **Prohibition:** निचली अदालत को अपने अधिकार का अतिक्रमण करने से रोकना।
 - **Certiorari:** किसी मामले को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करना या निचली अदालत के आदेश को रद्द करना।
 - **Quo Warranto:** किसी सार्वजनिक कार्यालय में किसी व्यक्ति के दावे की वैधता को चुनौती देना।
3. **सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका:** यह मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है और यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी उनका उल्लंघन न करे। यदि सरकार या कोई सार्वजनिक प्राधिकरण आपके अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट से संपर्क कर सकते हैं।
4. **डॉ. बी.आर. अंबेडकर का दृष्टिकोण:** भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉ. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का "हृदय और आत्मा" कहा क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि नागरिकों के पास अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्यक्ष उपाय है।

यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो अनुच्छेद 32 आपको न्याय मांगने और उन अधिकारों की रक्षा करने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने की अनुमति देता है।

"यदि हम उस संविधान को संरक्षित करना चाहते हैं जिसमें हमने 'जनता का शासन, जनता के लिए, जनता द्वारा' के सिद्धांत को स्थापित करने का प्रयास किया है, तो हमें उन बुराइयों को पहचानने में देरी नहीं करनी चाहिए जो हमारे मार्ग में बाधा बनती हैं और लोगों को 'जनता द्वारा शासन' के बजाय 'जनता के लिए शासन' को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करती हैं। हमें उन्हें दूर करने में अपनी पहल में भी कमजोर नहीं होना चाहिए। यही देश की सेवा का एकमात्र मार्ग है। मैं इससे बेहतर कोई मार्ग नहीं जानता।"

-बाबा साहेब अंबेडकर

मौलिक कर्तव्य

(संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत अध्याय IV)

अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू हैं। कर्तव्यों के बिना कोई अधिकार नहीं है, अधिकारों के बिना कोई कर्तव्य नहीं है। वास्तव में, अधिकारों का जन्म कर्तव्यों की दुनिया में होता है। 1950 में लागू मूल संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। यह आशा की गई थी कि नागरिक स्वेच्छा से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। लेकिन, संविधान के 42वें संशोधन में संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत अध्याय IV में 10 कर्तव्यों की एक नई सूची जोड़ी गई।

हमारे कर्तव्य:

- i. संविधान का पालन करना और हमारे राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना।
- ii. हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना।
- iii. भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना।
- iv. जरूरत पड़ने पर देश की रक्षा करना।
- v. लोगों के सभी वर्गों के बीच सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देना और महिलाओं की गरिमा का सम्मान करना।
- vi. हमारी समृद्ध विरासत और समग्र संस्कृति को संरक्षित करने के लिए।
- vii. वनों, नदियों, झीलों और वन्य जीवन सहित हमारे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना।
- viii. वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद विकसित करना।
- ix. सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा के लिए और हिंसा का उपयोग न करने के लिए।
- x. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना।

नया जोड़

(xi) खंड (k) अनुच्छेद 51A संशोधन अधिनियम 86, 2002।

(k) कोई अभिभावक या अभिभावक यथास्थिति, अपने बालक की शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करेगा या यथास्थिति, छह और चौदह वर्ष की आयु के बीच का होगा।

राज्य के नीति निर्देशक तत्व (DPSP)

(भाग IV भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36-51)

राज्य के आदर्शों की प्रकृति में निर्देश	राज्य की नीति को आकार देने वाले निर्देश	नागरिकों के गैर-न्यायोचित अधिकार
1. राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय द्वारा व्याप्त सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा (अनुच्छेद 38 (1)); व्यक्तियों और समूहों के बीच आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानता को कम करने के लिए (अनुच्छेद 38 (2))। 2. राज्य, काम की न्यायसंगत और मानवीय दशाएं, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर तथा सभी श्रमिकों के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा (अनुच्छेद 43) 3. राज्य पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेगा (अनुच्छेद -47) 4. राज्य अपनी नीति को भौतिक संसाधनों, धन और उत्पादन साधनों का समान वितरण सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देशित करेगा (अनुच्छेद 39-ब)-(ग)] 5. राज्य, अंतरराष्ट्रीय शांति और मैत्री की अभिवृद्धि	1. कुछ आर्थिक अधिकारों को सुरक्षित करके आर्थिक लोकतंत्र और न्याय की स्थापना करना 2. नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना (अनुच्छेद -44) 3. मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। 4. चिकित्सा प्रयोजन को छोड़कर शराब और नशीली दवाओं के सेवन पर रोक लगाने के लिए 5. कुटीर उद्योगों को विकसित करना। 6. आधुनिक तर्ज पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करना। (अनुच्छेद 48) 7. उपयोगी मवेशियों अर्थात् गाय, बछड़ों और अन्य दुधारू और वाहक पशुओं के वध को रोकना (अनुच्छेद -48) 8. ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करना (अनुच्छेद -40)	1. आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार (अनुच्छेद 39 (A)) 2. समान कार्य के लिए समान वेतन के लिए दोनों लिंगों का अधिकार (अनुच्छेद -39) 3. आर्थिक शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 39 (3) - (च)) 4. बच्चों और युवाओं को शोषण से बचाने और स्वतंत्रता और गरिमा के अनुरूप स्वस्थ विकास के अवसर प्राप्त करने का अधिकार (अनुच्छेद 39 (च)) 5. न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए समान अवसर का अधिकार (अनुच्छेद 39 A) 6. काम का अधिकार (अनुच्छेद 41) 7. बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और अवांछित अभाव के अन्य मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार (अनुच्छेद -41) 8. काम की मानवीय परिस्थितियों और प्रसूति राहत का अधिकार 9. निर्वाह मजदूरी का अधिकार और श्रमिकों के लिए जीवन

करने का प्रयास करेगा (अनुच्छेद 51)	9. कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना और उन्हें सामाजिक अन्याय से बचाना (अनुच्छेद -46) 10. पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए और वनों और वन्यजीवों की रक्षा के लिए (अनुच्छेद 48 A) 11. ऐतिहासिक या कलात्मक महत्व के स्थानों की रक्षा और रखरखाव करने के लिए 12. न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना (अनुच्छेद -50)	के सभ्य मानकों को सुनिश्चित करने वाली कार्य की स्थितियां (अनुच्छेद -43) 10. उद्योगों के प्रबंधन में भाग लेने के लिए श्रमिकों का अधिकार (अनुच्छेद 43A) 11. बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद -45) (अब, 86वें संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा एक मौलिक अधिकार बन गया है- स्वतंत्रता का अधिकार 21A)
---------------------------------------	---	---

"चाहे संविधान कितना भी अच्छा हो, यदि इसे कार्यान्वित करने वाले लोग खराब हों, तो यह निश्चित रूप से बुरा साबित होगा। और चाहे संविधान कितना भी बुरा हो, यदि इसे कार्यान्वित करने वाले लोग अच्छे हों, तो यह अच्छा साबित हो सकता है।"

-बाबा साहेब अंबेडकर

II. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के तहत गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार

- **गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार:** यह संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है और बीएनएसएस में भी प्रबलित किया गया है। व्यक्ति को उनकी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।
- **वकील से परामर्श करने का अधिकार:** यह भी एक मौलिक अधिकार है और बीएनएसएस में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से कानूनी परामर्श और सहायता लेने का अधिकार है।
- **पूछताछ के दौरान वकील से मिलने का अधिकार:** यह भी एक मौलिक अधिकार है और बीएनएसएस एक अभियुक्त को पूछताछ के दौरान वकील से मिलने की स्पष्ट रूप से अनुमति देकर इस अधिकार को और भी मजबूत करता है।
- **चिकित्सा परीक्षण का अधिकार:** यह भी एक मौलिक अधिकार है और बीएनएसएस में भी इसका स्पष्ट उल्लेख है की गिरफ्तारी के 48 घंटे के भीतर अभियुक्त की चिकित्सा जांच कराई जानी अनिवार्य है।
- **किसी मित्र या रिश्तेदार को सूचना का अधिकार:** पुलिस को गिरफ्तार किये गए व्यक्ति के मित्र या रिश्तेदार को गिरफ्तारी के बारे में सूचित करना अनिवार्य होगा।

गिरफ्तारी, एफआईआर, बयान और चिकित्सा परीक्षा के संदर्भ में BNSS की मुख्य विशेषताएं:

बीएनएसएस के तहत एफआईआर से संबंधित कुछ उल्लेखनीय परिवर्तन/नए प्रावधान जो [धारा 173] में बताये गए हैं | जो इस प्रकार हैं:

- **Zero FIR [173 (1)]**
एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है, चाहे वह घटना किसी भी क्षेत्र का क्यों न हो, अपराध कहीं भी किया गया हो, उसकी FIR भारतवर्ष में किसी भी थाने में करवाई जा सकती है।
- **इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से FIR [Sec.173 (1) (ii)]**
एफआईआर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (ई-एफआईआर) के माध्यम से भी दर्ज की जा सकती है। हालांकि, इसे 3 दिनों के भीतर सम्बंधित थाने के द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना अनिवार्य है।
- **प्रारंभिक जांच करने की शर्तें [धारा 173 (3)]**
3 से 7 साल के बीच कारावास के साथ दंडनीय अपराधों में, पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी पुलिस उपाधीक्षक की अनुमति से, यह पता लगाने के लिए प्रारंभिक जांच कर सकता है कि क्या मामले में कार्यवाही के लिए कोई प्रथम दृष्टया मामला है।
ऐसी प्रारंभिक जांच 14 दिनों के भीतर पूरी होनी चाहिए।
- **14 दिनों में एक बार मजिस्ट्रेट को दैनिक डायरी रिपोर्ट भेजना अनिवार्य [धारा 174]**

थाना प्रभारी 14 दिनों में एक बार गैर-संज्ञेय मामलों के बारे में जानकारी की दैनिक डायरी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को जमा करेगा स्वयं जा कर ।

BNSS के तहत गिरफ्तारी से संबंधित प्रावधान:

- किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय प्रत्येक पुलिस अधिकारी उसे उसकी गिरफ्तारी के आधार और जमानत के अधिकार के बारे में सूचित करेगा। **[धारा 47]**
- गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति तुरंत ऐसी गिरफ्तारी और उस स्थान के बारे में जानकारी देगा जहां गिरफ्तार व्यक्ति को उसके किसी रिश्तेदार या गिरफ्तार किये गए व्यक्ति द्वारा नामित किसी भी व्यक्ति को रखा जा रहा है और यदि अपराध जमानती है तो उसे जमानत के उसके अधिकार के बारे में सूचित किया जाएगा। **[धारा 48]**
- गिरफ्तार किया गया व्यक्ति पुलिस पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के वकील से मिलने का हकदार होता है। **[धारा 38]**
- **3 साल से कम कारावास के साथ दंडनीय अपराधों में डीएसपी की अनुमति के बिना वृद्ध या दुर्बल व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं। [धारा 35]**
3 साल से कम कारावास के साथ दंडनीय अपराधों के मामले में, **डीएसपी की पूर्व अनुमति के बिना** किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, जो कमजोर है या 60 वर्ष से अधिक आयु का है।
- **गिरफ्तार किए व्यक्तियों के रिकॉर्ड को बनाए रखने और इसे डिजिटल मोड में प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक पुलिस स्टेशन में नामित पुलिस अधिकारी की नियुक्ति। [धारा 37]**
प्रत्येक पुलिस स्टेशन में पदनामित पुलिस अधिकारी के रूप में एक अधिकारी, जो एसआई के रैंक से नीचे का न हो, को बनाए रखेगा और डिजिटल मोड में पुलिस स्टेशन और जिला मुख्यालय में गिरफ्तार किये गए व्यक्तियों के अपराध की प्रकृति के बारे में जानकारी प्रदर्शित करेगा।
- **नामित पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी की सूचना [धारा 48]**
गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी को व्यक्ति की गिरफ्तारी के बारे में सूचित करना आवश्यक है
 - a) रिश्तेदार या दोस्त और,
 - b) इसके अलावा, नामित किये गए व्यक्ति जिस का अभियुक्त ने नाम बताया हो ।
- **निजी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी [धारा 40]**
निजी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी के मामले में, गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के 6 घंटे के भीतर पुलिस को सौंप दिया जाना चाहिए।
- **कुछ मामलों में हथकड़ी के उपयोग की अनुमति है [धारा 43(3)]**
अभियुक्त पर हथकड़ी के उपयोग की अनुमति केवल निम्नलिखित मामलों में है:
 - a) आदतन या अपराध दोहराने वाले अपराधी के मामले में या
 - b) उस व्यक्ति के मामले में जो हिरासत से भाग गया है या
 - c) संगठित अपराध, आतंकवादी अधिनियम, नशीली दवाओं से संबंधित अपराध, हथियार और गोला-बारूद के अवैध कब्जे, हत्या, बलात्कार, एसिड अटैक हमला, सिक्कों और

मुद्रा नोटों की जालसाजी, मानव तस्करी, बच्चों के खिलाफ यौन अपराध या राज्य के खिलाफ अपराधों के मामले में।

- **एक महिला की गिरफ्तारी** एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी, सिवाय विषम परिस्थितियों के, एक पुरुष पुलिस अधिकारी महिला को नहीं छूएगा। [धारा 43]
- बिना वारंट के गिरफ्तार **व्यक्ति** को 24 घंटे के भीतर नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। [धारा 58]

बयानों की रिकॉर्डिंग के संबंध में परिवर्तन [धारा 176, 179-183]

- **बलात्कार की पीड़िता के निवास पर बयान दर्ज करना [धारा 176]**
बलात्कार के अपराध के संबंध में, पीड़िता के बयान की रिकॉर्डिंग पीड़ित के निवास पर या उसकी पसंद के स्थान पर एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उसके माता-पिता या अभिभावक या इलाके के निकट संबंधी या सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में की जाएगी। ऐसा बयान मोबाइल फोन सहित ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी दर्ज किया जा सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता में मोबाइल फोन के माध्यम से यौन उत्पीड़न की पीड़िता का बयान दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं था।
- **यौन उत्पीड़न की पीड़िता का बयान दर्ज करने के लिए महिला पुलिस अधिकारी [धारा 180]**
किसी महिला का बयान, जिसके खिलाफ यौन उत्पीड़न किया गया है या प्रयास किया गया है, एक महिला पुलिस अधिकारी या किसी भी महिला अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाएगा। इस तरह के बयान ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी रिकॉर्ड किए जा सकते हैं।
- **महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा यौन उत्पीड़न की पीड़िता के बयान की रिकॉर्डिंग [धारा 183]**
धारा 183 (6) (ए) में कहा गया है कि बलात्कार की पीड़िता का बयान केवल एक महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाएगा और उसकी अनुपस्थिति में, एक पुरुष न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा एक महिला की उपस्थिति में दर्ज किया जाएगा।
- **महिलाएं, 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति या गंभीर बीमारी वाले व्यक्ति पुलिस स्टेशन जाने के लिए बाध्य नहीं हैं [धारा 179]**
 - a) 15 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक आयु वाले कोई भी पुरुष व्यक्ति नहीं
 - b) कोई महिला नहीं
 - c) कोई मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति नहीं
 - d) गंभीर बीमारी वाला कोई भी व्यक्ति नहींउनका बयान दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जाएगा। जब तक कि उक्त व्यक्ति ऐसा करने के लिए तैयार न हो।

चिकित्सा परीक्षा:

- **किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा के लिए आवेदन [धारा 51 और 52]**
कोई भी पुलिस अधिकारी आरोपी की मेडिकल जांच के लिए आवेदन दे सकता है।

नोट: सीआरपीसी के तहत केवल एसआई (S.I.) ही इस तरह के आवेदन को स्थानांतरित कर सकता है।

- **अभियुक्त की चिकित्सा जांच रिपोर्ट अविलम्ब दी जाए [धारा 52]**
चिकित्सा अधिकारी बिना किसी देरी के मेडिको-लीगल रिपोर्ट (एमएलआर) को जांच अधिकारी को अग्रेषित करेगा।
- **गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी** और उसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की एक प्रति गिरफ्तार व्यक्ति या ऐसे गिरफ्तार किये गए व्यक्ति/अभियुक्त द्वारा नामजद व्यक्ति को प्रदान की जाएगी।
यदि अभियुक्त महिला है, तो शरीर की जांच महिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाएगी। [धारा 53]
- **बलात्कार के मामलों में पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट 7 दिनों में दी जाएगी [धारा 184]** -
चिकित्सा अधिकारी, 7 दिनों की अवधि के भीतर, मेडिको-लीगल रिपोर्ट (एमएलआर) को जांच अधिकारी को अग्रेषित करेगा, जो इसे पुलिस रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करेगा।

"यदि नई संविधान व्यवस्था में कुछ गलत होता है, तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था, बल्कि हमें कहना होगा कि मानव स्वभाव दूषित था।"

- बाबा साहेब अंबेडकर

III. शक्ति का पृथक्करण (Separation of Power)

शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत शासन में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो सरकारी प्राधिकरण को तीन अलग-अलग शाखाओं में विभाजित होता है:

- विधायिका, (Legislature)
- कार्यपालिका, (Executive) और
- न्यायपालिका (Judiciary)

इस विभाजन का उद्देश्य किसी एक शाखा में शक्ति की एकाग्रता को रोकना है, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा होती है और “जांच और संतुलन” की प्रणाली को बढ़ावा मिलता है। प्रत्येक शाखा की अपनी परिभाषित कार्य और जिम्मेदारियां होती हैं, जिससे उन्हें एक-दूसरे की शक्तियों की प्रभावी ढंग से निगरानी और सीमित करने की अनुमति मिलती है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका शक्तियों के सख्त पृथक्करण का उदाहरण देता है, भारत की संसदीय प्रणाली एक अधिक एकीकृत दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है जहां कार्यपालिका विधायिका का हिस्सा है, जो प्रभावी शासन सुनिश्चित करने के लिए इस सिद्धांत के एक अद्वितीय अनुकूलन को दर्शाती है। यह संतुलन लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने और सत्ता के संभावित दुरुपयोग के खिलाफ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है।

विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की भूमिकाएं

विधायिका:

- **कानून बनाना:** विधायिका की प्राथमिक भूमिका कानूनों का निर्माण, संशोधन और निरसन करना है। इसमें प्रस्तावित कानून पर बहस करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि यह संविधान के साथ संरेखित हो।
- **प्रतिनिधित्व:** विधायक अपने घटकों के हितों और चिंताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में विविध आवाज़ें सुनी जाती हैं।
- **बजट अनुमोदन:** विधायिका के पास राष्ट्रीय बजट को मंजूरी देने, सरकारी खर्च और राजकोषीय नीति को नियंत्रित करने का अधिकार है।
- **निरीक्षण:** यह कार्यकारी शाखा के कार्यों की निगरानी करता है, सुनवाई करता है, और सार्वजनिक हितों के मामलों की जांच कर सकता है।

कार्यपालिका:

- **कानूनों का कार्यान्वयन:** कार्यपालिका, विधायिका द्वारा पारित कानूनों को लागू करने और प्रशासित करने के लिए जिम्मेदार है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें सही से व्यवहार में लाया गया है।
- **नीति विकास:** कार्यकारी शाखा सार्वजनिक नीतियों को विकसित और कार्यान्वित करती है, अक्सर विधायी कार्यवाई के लिए एजेंडा निर्धारित करती है।

- **राष्ट्रीय रक्षा और विदेशी मामले:** कार्यकारी सैन्य अभियानों की देखरेख करता है और संधि वार्ता और राजनयिक मिशनों सहित विदेशी संबंधों का प्रबंधन करता है।
- **प्रशासनिक कार्य:** कार्यकारी सरकारी एजेंसियों और विभागों का प्रबंधन करता है, सार्वजनिक सेवाओं के कुशल वितरण को सुनिश्चित करता है।
- **आपातकालीन शक्तियाँ:** संकट के समय कार्यपालिका राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में तेज़ी से कार्य करने के लिये विशेष शक्तियों का प्रयोग कर सकती है।

न्यायपालिका:

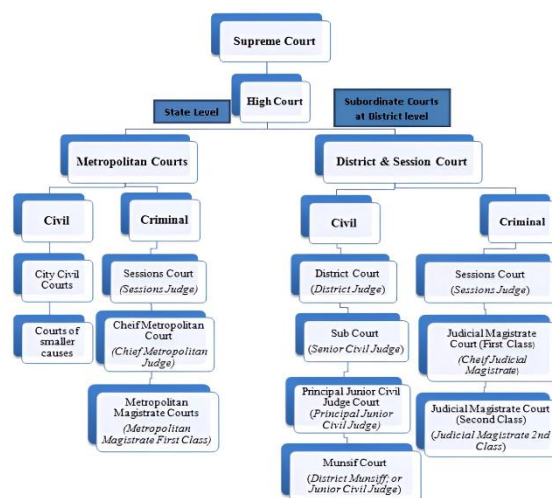
- **कानूनों की व्याख्या:** न्यायपालिका व्यक्तिगत मामलों में कानूनों की व्याख्या और लागू करती है, न्याय सुनिश्चित करती है और कानून के शासन को बनाए रखती है।
- **न्यायिक समीक्षा:** इसमें कानूनों और कार्यकारी कार्यों की संवैधानिकता की समीक्षा करने की शक्ति है, जो विधायिका और कार्यपालिका प्राधिकरण पर एक जांच के रूप में कार्य करती है।
- **विवाद समाधान:** न्यायपालिका व्यक्तियों, संगठनों और सरकारी संस्थाओं के बीच विवादों का समाधान करती है, कानूनी निवारण के लिये एक तंत्र प्रदान करती है।
- **अधिकारों का संरक्षण:** यह व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करता है, यह सुनिश्चित करता है कि कानून संवैधानिक सुरक्षा का उल्लंघन न करें।
- **मिसाल कायम करना:** अपने फैसलों के माध्यम से न्यायपालिका कानूनी मिसाल कायम करती है जो भविष्य के मामलों और कानून की व्याख्याओं का मार्गदर्शन करती है।

भारत में सरकार की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका शाखाएं अन्योन्याश्रित हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह शक्तियों का सख्त पृथक्करण नहीं होने के बावजूद प्रभावी शासन सुनिश्चित करने के लिए सद्भाव में काम करती हैं। कार्यपालिका, जिसमें प्रधान मंत्री और मंत्रिपरिषद शामिल हैं, विधायिका (संसद) से तैयार की जाती है और उसके प्रति जवाबदेह होती है। संसद अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और बजटीय नियंत्रण जैसे तंत्रों के माध्यम से कार्यपालिका को जवाबदेह ठहरा सकती है। इसके विपरीत, कार्यकारी कानून में हस्ताक्षर करने के लिए बिलों पर राष्ट्रपति को सलाह देकर विधायिका को प्रभावित करता है। न्यायपालिका कार्यकारी और विधायिका दोनों पर एक जांच के रूप में कार्य करती है, जिसमें उनके कार्यों की संवैधानिकता का आकलन करने के लिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति होती है। हालाँकि, न्यायपालिका को स्वयं न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका की भूमिका और संविधान में संशोधन करने की विधायिका की शक्ति से जांचा जाता है। आपसी नियंत्रण और संतुलन की यह प्रणाली, प्रत्येक शाखा के भीतर आंतरिक जांच के साथ, किसी एक शाखा को बहुत शक्तिशाली बनने से रोकती है, जबकि उन्हें सुशासन के लिए सहयोग करने में सक्षम बनाती है। जबकि "शक्तियों का पृथक्करण" शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, संविधान तीन शाखाओं के बीच जाँच और संतुलन की एक प्रणाली स्थापित करता है, जिसमें प्रत्येक अंग का किसी एक इकाई में शक्ति की एकाग्रता को रोकने के लिए दूसरों पर कुछ प्रभाव पड़ता है।

IV. भारतीय न्यायिक प्रणाली की संरचना

सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court)

सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण, मूल, अपीलीय और सलाहकार कार्यों को शामिल करने वाले व्यापक क्षेत्राधिकार के साथ शीर्ष न्यायालय के रूप में कार्य करता है। इसके मूल उद्देश्य क्षेत्र में केंद्र सरकार और राज्यों के बीच या स्वयं राज्यों के बीच विवादों को हल करना शामिल है। इसके पास निचली अदालतों के निर्णयों की समीक्षा करने का **अपीलीय क्षेत्राधिकार** है, जो कानूनी व्याख्याओं और निर्णयों की शुद्धता सुनिश्चित करता है। सर्वोच्च न्यायालय भारत के राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित संवैधानिक प्रश्नों पर कानूनी राय प्रदान करके **सलाहकार क्षेत्राधिकार** का भी प्रयोग करता है। इसके अतिरिक्त, यह संविधान की व्याख्या करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे देश के कानूनी परिदृश्य को आकार मिलता है।



भारतीय न्यायालयों का उत्तराधिकार
क्रेडिट: सिंघानिया एंड एसोसिएट्स एलएलपी, Mondaq

हाई कोर्ट (High Court)

उच्च न्यायालय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर सर्वोच्च न्यायालयों के रूप में कार्य करते हैं, जिनके पास **“मूल और अपीलीय दोनों क्षेत्राधिकार होते हैं”**। अपने मूल अधिकार क्षेत्र में, उच्च न्यायालय महत्वपूर्ण नागरिक और आपराधिक मामलों को संभालते हैं, जिनमें अक्सर मौलिक अधिकारों के मुद्दे शामिल होते हैं। उनका **अपीलीय क्षेत्राधिकार** उन्हें राज्य के भीतर अधीनस्थ अदालतों के निर्णयों की समीक्षा करने की अनुमति देता है, जिससे कानून और न्याय का उचित अनुप्रयोग सुनिश्चित होता है। उच्च न्यायालयों के पास न्यायिक अनुशासन और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी निचली अदालतों पर पर्यवेक्षी प्राधिकार भी होते हैं।

जिला एवं सत्र न्यायालय (District & Sessions Court)

- **सिविल:** जिला न्यायालय जिला न्यायालय एक जिले के भीतर प्रमुख नागरिक अदालतों के रूप में कार्य करते हैं, जो महत्वपूर्ण नागरिक विवादों को संभालते हैं। उनके पास प्रमुख नागरिक मामलों पर व्यापक अधिकार क्षेत्र है और अधीनस्थ सिविल अदालतों से अपील भी सुनते हैं, जो उच्च स्तर की न्यायिक जांच और विशेषज्ञता प्रदान करते हैं।
- **आपराधिक:** सत्र न्यायालय जिला स्तर पर, सत्र न्यायालय गंभीर आपराधिक मामलों के लिए मुख्य न्यायालय हैं। उनके पास गंभीर अपराधों पर अधिकार क्षेत्र है और निचली आपराधिक अदालतों से अपील सुनते हैं। सत्र न्यायालय परीक्षण करते हैं, निर्णय पारित करते हैं, और गंभीर अपराधों के लिए सजा देते हैं, जिला स्तर पर कानून और व्यवस्था बनाए रखते हैं।

उप न्यायालय (Sub Court)

उप न्यायालय, या वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश न्यायालय, जिला न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पर्याप्त सिविल मामलों का प्रबंधन करते हैं। वे मध्यवर्ती नागरिक क्षेत्राधिकार रखते हैं, जो निचली अदालतों और जिला न्यायालयों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करते हैं, और अधीनस्थ सिविल अदालतों से अपील भी सुन सकते हैं।

प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज कोर्ट (Principal Junior Civil Judge Court)

प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज कोर्ट कम महत्वपूर्ण नागरिक विवादों को संभालते हैं, आमतौर पर कम वित्तीय हिस्सेदारी शामिल होती है। उनके पास मामूली नागरिक मामलों पर अधिकार क्षेत्र है, जो छोटे नागरिक मामलों के कुशल समाधान के लिए एक मंच प्रदान करते हैं।

मुंसिफ कोर्ट (Munsif Court)

मुंसिफ कोर्ट, जिसे जूनियर सिविल जज कोर्ट के रूप में भी जाना जाता है, सिविल क्षेत्राधिकार के निम्नतम स्तर के साथ मामूली सिविल मामलों को संबोधित करता है। वे छोटे सिविल विवादों को संभालते हैं, अक्सर छोटे वित्तीय दावों को शामिल करते हैं, मामूली मुद्दों के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करते हैं।

न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय (प्रथम श्रेणी) (Judicial Magistrate Court (First Class))

प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में, द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालयों की तुलना में अधिक गंभीर आपराधिक मामलों का प्रबंधन करते हैं। उनके अधिकार क्षेत्र में मध्यम अपराध, परीक्षण आयोजित करना, वारंट जारी करना और महत्वपूर्ण आपराधिक मामलों में प्रारंभिक पूछताछ को संभालना शामिल है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय (द्वितीय श्रेणी) (Judicial Magistrate Court (Second Class))

द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय छोटे आपराधिक अपराधों से निपटते हैं, जो छोटे अपराधों पर सीमित अधिकार क्षेत्र रखते हैं। वे संक्षिप्त परीक्षण करते हैं, छोटे आपराधिक मामलों का तेजी से निर्णय सुनिश्चित करते हैं, और स्थानीय कानून और व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

"यदि मुझसे यह पूछा जाए कि इस संविधान में कोई एक ऐसा अनुच्छेद कौन-सा है जो सबसे महत्वपूर्ण है—एक ऐसा अनुच्छेद जिसके बिना यह संविधान अर्थहीन हो जाएगा—तो मैं किसी अन्य अनुच्छेद का उल्लेख नहीं कर सकता। यह संविधान की आत्मा है और इसका हृदय है।" (अनुच्छेद 32 के बारे में)

-बाबा साहेब अंबेडकर

विवाद समाधान के अन्य तंत्र (ADR – Alternative Dispute Resolution)

लोक अदालत

लोक अदालत, या "पीपुल्स कोर्ट", भारत में एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है, जिसे **कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987** के तहत स्थापित किया गया है। लोक अदालत का प्राथमिक उद्देश्य औपचारिक न्यायिक प्रणाली के बाहर विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटान के लिए एक मंच प्रदान करना है, इस प्रकार पारंपरिक अदालतों पर बोझ को कम करना है। यह सिविल विवादों, वैवाहिक और पारिवारिक विवादों और यहां तक कि पूर्व-मुकदमेबाजी के मामलों सहित मामलों की एक विस्तृत श्रृंखला से संबंधित है, जहां विवादों को अदालत तक पहुंचने से पहले हल किया जाता है। लोक अदालत की पहचान इसका अनौपचारिक और समझौतावादी दृष्टिकोण है, जहां पार्टियां बातचीत करने और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान पर पहुंचने के लिए एक साथ आती हैं।

लोक अदालतों को सुलह और समझौते द्वारा विवादों को हल करने का अधिकार है, और किए गए निर्णय शामिल पक्षों पर बाध्यकारी हैं, जो अदालत के डिक्री के समान वजन रखते हैं। ये निर्णय अंतिम हैं और त्वरित समाधान और प्रवर्तन सुनिश्चित करते हुए अपील नहीं की जा सकती है। लोक अदालत न्याय, समानता और अच्छे विवेक के सिद्धांत के तहत संचालित होती है, जिसका उद्देश्य त्वरित और लागत प्रभावी न्याय प्रदान करना है। स्वैच्छिक निपटान को प्रोत्साहित करके और मुकदमेबाजी की लागत को कम करके, लोक अदालतें समाज के सभी वर्गों के लिए न्याय तक पहुंच बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

नारी अदालत

सरकार के **मिशन शक्ति** के तहत, यह महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक एकीकृत कार्यक्रम है, जिसमें दो उप-योजनाएं शामिल हैं: **संबल** और **समर्थ**।

1. **संबल** महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण पर केंद्रित है। इसमें शामिल हैं:
 - वन स्टॉप सेंटर
 - महिला हेल्पलाइन
 - बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
 - और नई शुरू की गई **नारी अदालत**, जिसे पहले चरण में असम और जम्मू-कश्मीर में लागू किया जाएगा।
2. **समर्थ** महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए योजनाएं प्रदान करता है। इसमें शामिल हैं:
 - प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
 - पालना
 - शक्ति सदन
 - सखी निवास
 - और महिला सशक्तिकरण हब।

नारी अदालत, या "महिला न्यायालय", एक अनौपचारिक, समुदाय-आधारित विवाद समाधान मंच है जिसे विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों और लिंग आधारित हिंसा से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये मंच गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और महिला समूहों द्वारा शुरू किए गए विभिन्न महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में उभरे। हालांकि नारी अदालतों को वैधानिक समर्थन प्राप्त नहीं है, लेकिन उन्हें अक्सर लैंगिक न्याय और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकारी और गैर-सरकारी पहलों से समर्थन प्राप्त होता है।

नारी अदालतों का उद्देश्य महिलाओं को उनकी शिकायतों, विशेषकर घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और लिंग भेदभाव के मामलों में सहयोगी माहौल प्रदान करना है। ये अदालतें कानूनी अधिकार के बजाय सामाजिक दबाव और सामुदायिक समर्थन की ताकत से संचालित होती हैं, मध्यस्थता और परामर्श के माध्यम से महिलाओं को न्याय और पुनर्वास दिलाने पर केंद्रित रहती हैं।

नारी अदालतों की सदस्य स्थानीय समुदाय की महिलाएं होती हैं, जिन्हें परामर्श और मध्यस्थता तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाता है। ये महिलाएं एक मंच प्रदान करती हैं जहां पीड़ित महिलाएं अपनी चिंताओं को व्यक्त कर सकती हैं और अपनी सुरक्षा व कल्याण सुनिश्चित करने के समाधान पा सकती हैं। नारी अदालतें महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाकर उन्हें सशक्त करने और समुदाय में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाती हैं।

वन स्टॉप सेंटर

वन स्टॉप सेंटर (OSCs), जिसे सखी सेंटर के रूप में भी जाना जाता है, 2015 में भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय की पहल के तहत स्थापित किया गया था। ये केंद्र निर्भया फंड फ्रेमवर्क का हिस्सा हैं, जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा की बढ़ती घटनाओं के जवाब में बनाया गया है, खासकर 2012 में दिल्ली में क्रूर सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद। OSCs का प्राथमिक उद्देश्य घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के अन्य रूपों सहित हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत समर्थन और सहायता प्रदान करना है।

वन स्टॉप सेंटर (OSC) पीड़ितों को चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक परामर्श, पुलिस सुविधा और अस्थायी आश्रय जैसी सेवाएं एक ही स्थान पर प्रदान करते हैं। इन केंद्रों का उद्देश्य महिलाओं को उनकी आवश्यकताओं के लिए समन्वित और त्वरित सहायता प्रदान करना है। प्रत्येक OSC में चिकित्सा अधिकारी, परामर्शदाता, सामाजिक कार्यकर्ता और पुलिस कर्मी मिलकर काम करते हैं ताकि संकटग्रस्त महिलाओं को प्रभावी सहायता मिल सके।

OSCs का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को न्याय और पुनर्वास तक आसान पहुंच प्रदान करना है। ये केंद्र हिंसा की शिकार महिलाओं को आवश्यक संसाधन और सहायता देकर उनके पुनर्निर्माण में मदद करते हैं। एक सुरक्षित वातावरण में OSCs महिलाओं को न्याय के लिए आगे बढ़ने और हिंसा से उबरने के लिए सशक्त बनाते हैं। इस समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से, OSCs महिलाओं को आवश्यक सहायता प्रदान करते हुए लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और हिंसा समाप्त करने के लक्ष्य में योगदान करते हैं।

V. बिहार पीड़ित मुआवजा योजना, 2019

परिचय

बिहार पीड़ित मुआवजा योजना को "यौन उत्पीड़न/अन्य अपराधों से पीड़ित महिला पीड़ितों के लिए मुआवजा योजना, 2019" को शामिल करने के लिए अद्यतन किया गया है। इस योजना का उद्देश्य उन महिलाओं को वित्तीय मुआवजा और सहायता प्रदान करना है, जिन्हें यौन उत्पीड़न, तेज़ाब से हमले और अन्य हिंसक अपराधों जैसे अपराधों के कारण शारीरिक और मानसिक नुकसान हुआ है।

परिभाषाएँ:

- **पीड़ित:** एक महिला जिसे किसी अपराध के कारण शारीरिक या मानसिक चोट लगी है।
- **आश्रित:** परिवार के सदस्य पीड़ित पर निर्भर हैं, जिनमें पति, माता-पिता, दादा-दादी, अविवाहित बेटियाँ और नाबालिग बच्चे शामिल हैं।
- **जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (DLSA):** मुआवजे के दावों के प्रसंस्करण और वितरण के लिए जिम्मेदार जिला स्तरीय निकाय।

पीड़ित मुआवजा कोष:

- "महिला पीड़ित मुआवजा कोष" में केंद्रीय पीड़ित मुआवजा कोष (सीवीसीएफ), राज्य बजट आवंटन, दान और अन्य स्रोतों से योगदान शामिल हैं।
- इस फंड का प्रबंधन राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) द्वारा किया जाता है और विशेष रूप से महिला पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए निर्धारित किया गया है।

मुआवजे के लिए पात्रता:

- यौन उत्पीड़न, एसिड हमलों, घरेलू हिंसा और अन्य निर्दिष्ट अपराधों जैसे अपराधों की शिकार महिलाएं।
- मृत्यु के मामले में पीड़ितों के आश्रितों को मुआवजा भी उपलब्ध है।

आवेदन प्रक्रिया:

- पीड़ित या उनके आश्रित एफआईआर, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ एसएलएसए या डीएलएसए को एक आवेदन जमा करके मुआवजे के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- एसिड हमलों जैसे तत्काल मामलों में, अंतरिम मुआवजा 15 दिनों के भीतर दिया जा सकता है।

मुआवजे की राशि:

अपराधों की शिकार महिलाओं के लिए लागू अनुसूची			
S.No.	नुकसान या चोट का विशेष रूप से	बहुत छोटा की सीमा मुआवज़ा	ऊपरी सीमा का मुआवज़ा
1.	जीवन की हानि	रु. 5 लाख	रु. 10 लाख
2.	सामूहिक बलात्कार	रु. 5 लाख	रु. 10 लाख
3.	बलात्कार	रु. 4 लाख	रु. 7 लाख
4.	अप्राकृतिक यौन हमला	रु. 4 लाख	रु. 7 लाख
5.	किसी भी अंग या शरीर के हिस्से का नुकसान जिसके परिणामस्वरूप 80% स्थायी विकलांगता या उससे अधिक	रु. 2 लाख	रु. 5 लाख
6.	किसी भी अंग या शरीर के हिस्से का नुकसान जिसके परिणामस्वरूप 40% और 80% से कम स्थायी विकलांगता होती है	रु. 2 लाख	रु. 4 लाख
7.	किसी भी अंग या शरीर के हिस्से का नुकसान जिसके परिणामस्वरूप 20% से अधिक और 40% से कम स्थायी विकलांगता होती है	रु.1 लाख	रु. 3 लाख
8.	किसी भी अंग या शरीर के हिस्से का नुकसान जिसके परिणामस्वरूप 20% से कम स्थायी विकलांगता होती है	रु.1 लाख	रु. 2 लाख
9.	गंभीर शारीरिक चोट या पुनर्वास की आवश्यकता वाली कोई मानसिक चोट।	रु.1 लाख	रु. 2 लाख
10.	भ्रूण की हानि यानी हमले या प्रजनन क्षमता के नुकसान के परिणामस्वरूप गर्भपात।	रु. 2 लाख	रु. 3 लाख
11.	बलात्कार के कारण गर्भावस्था के मामले में।	रु. 3 लाख	रु. 4 लाख
12.	जलने का शिकार		
a.	चेहरे के विकृति के मामले में	रु. 7 लाख	रु.8 लाख
b.	50% से अधिक के मामले में	रु. 5 लाख	रु. 8 लाख
c.	50% से कम चोट के मामले में	रु. 3 लाख	रु. 7 लाख
d.	20% से कम के मामले में	रु. 2 लाख	रु. 3 लाख
13.	एसिड अटैक का शिकार-		
a.	चेहरे की विकृति के मामले में	रु. 7 लाख	रु.8 लाख
b.	चोट के मामले में 50% से अधिक	रु. 5 लाख	रु. 8 लाख
c.	50% से कम चोट के मामले में	रु. 3 लाख	रु. 5 लाख
d.	20% से कम चोट के मामले में	रु. 3 लाख	रु. 4 लाख

Credit: बिहार राजपत्र (असाधारण) दिनांक के अनुसार- 23 जुलाई, 2019

नोट: यदि यौन उत्पीड़न/एसिड हमले की पीड़ित महिला अनुसूची की एक या अधिक श्रेणी के तहत कवर की जाती है, तो वह मुआवजे के संयुक्त मूल्य के लिए विचार किए जाने की हकदार होगी।

मुआवजे के लिए विचार किए गए कारक:

- अपराध और चोट की गंभीरता।
- चिकित्सा खर्च किया।
- शिक्षा और रोजगार के अवसरों का नुकसान।
- मनोवैज्ञानिक प्रभाव और आघात।
- अपराधी से संबंध और अपराध का संदर्भ।
- अपराध, एसटीडी के संकुचन या एचआईवी के परिणामस्वरूप गर्भावस्था जैसे विशेष विचार।

संवितरण प्रक्रिया:

- DLSA/SLSA आवेदन का आकलन करता है और दावों की पुष्टि करता है।
- मुआवजा पूर्वनिर्धारित अनुसूचियों के आधार पर प्रदान किया जाता है, जिसे असाधारण मामलों में पार किया जा सकता है।
- भुगतान किस्तों में किए जाते हैं, जिसमें तत्काल मामलों में तत्काल अंतरिम राहत का प्रावधान होता है।

कार्यान्वयन और निगरानी:

- यह योजना जिला अधिकारियों के समर्थन से राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जाती है।
- नियमित निगरानी और लेखा परीक्षा से निधियों का उचित उपयोग सुनिश्चित होता है।
- कानूनी कार्यवाही के दौरान आरोप झूठे पाए जाने पर अधिकारी मुआवजा वसूल सकते हैं।

अतिरिक्त प्रावधान:

- एसिड अटैक पीड़िताओं को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष और अन्य सरकारी योजनाओं से अतिरिक्त मुआवजा मिलता है।
- पीड़ितों को मुआवजे की सीमा से अधिक चिकित्सा उपचार के लिए विशेष वित्तीय सहायता भी मिल सकती है।

समाप्ति

बिहार पीड़ित मुआवजा योजना, विशेष रूप से यौन उत्पीड़न और अन्य अपराधों की शिकार महिलाओं के लिए प्रावधान, का उद्देश्य उन्हें ठीक करने और पुनर्वास में मदद करने के लिए समय पर और पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना सुनिश्चित करती है कि पीड़ितों को खुद के लिए नहीं छोड़ा जाता है और उन्हें अपने जीवन के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक सहायता प्राप्त होती है।

VI. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, जिसे आमतौर पर **एससी/एसटी अधिनियम** के रूप में जाना जाता है, भारत में कानून का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के खिलाफ अपराधों को रोकना और दंडित करना है। यह अधिनियम इन हाशिए के समुदायों के खिलाफ अत्याचार और अपराधों की बढ़ती घटनाओं के जवाब में और उनकी सुरक्षा और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

अधिनियम के उद्देश्य

1. **अत्याचारों की रोकथाम:** प्राथमिक उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के खिलाफ अत्याचार के अपराध को रोकना है।
2. **विशेष अधिकारों का प्रवर्तन:** SC/ST समुदाय को प्राप्त विशेष अधिकारों और विशेषाधिकारों को लागू करना।
3. **सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना:** इन समुदायों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करके सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देना।

प्रमुख प्रावधान

1. **अत्याचार की परिभाषा:**
 - अधिनियम अत्याचारों को अपमान, सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार, नागरिक अधिकारों से वंचित, संपत्ति का विनाश, शारीरिक हमला, यौन शोषण, भूमि हथियाने और जबरन श्रम जैसे अपराधों के रूप में परिभाषित करता है।
2. **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रमुख प्रावधान**
 - **एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3:** उन विशिष्ट कार्यों को सूचीबद्ध करती है जिन्हें अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के सदस्यों के खिलाफ अपराध माना जाता है। इसका उद्देश्य इन समुदायों द्वारा सामना किए जाने वाले शोषण और भेदभाव को रोकना है। इस खंड के अंतर्गत क्या कवर किया गया है, इसका सरलीकृत विश्लेषण यहां दिया गया है:
धारा 3 के तहत निषिद्ध कार्य:
 - **किसी को बंधुआ मजदूरी में मजबूर करना:** एससी/एसटी व्यक्ति को गुलाम या बंधुआ मजदूर के रूप में काम करने के लिए मजबूर करना अवैध है।
 - **किसी को अमानवीय चीजें पीने या खाने के लिए मजबूर करना:** यदि कोई एससी/एसटी व्यक्ति को कुछ ऐसा खाने या पीने के लिए मजबूर करता है जिसे घृणित या अनुचित माना जाता है, तो यह एक अपराध है।

- **किसी की गरिमा पर हमला करना:** एससी/एसटी व्यक्ति का अपमान करना, अपमानित करना या सार्वजनिक रूप से अपमानित महसूस कराना अपराध है।
- **भूमि या संपत्ति को दूर करना:** एससी/एसटी व्यक्ति की भूमि या संपत्ति को बलपूर्वक ले जाना, कब्जा करना या नुकसान पहुंचाना प्रतिबंधित है।
- **यौन शोषण:** एससी/एसटी महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार का यौन उत्पीड़न या हमला इस धारा के अंतर्गत आता है और दंडनीय है।
- **किसी को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाना या शोषण करना:** एससी/एसटी व्यक्ति पर अनुचित ब्याज दर वसूलना, धोखा देना या वित्तीय लाभ उठाना अत्याचार माना जाता है।
- **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को सार्वजनिक संसाधनों तक पहुंचने से रोकना:** किसी एससी/एसटी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों, पानी या मंदिरों, कुओं या स्कूलों जैसी सुविधाओं का उपयोग करने से रोकना दंडनीय अपराध है।
- **सामाजिक बहिष्कार:** समुदाय को SC/ST लोगों को सामाजिक रूप से अलग-थलग करने के लिये मजबूर करना, उन्हें दूसरों के साथ बातचीत करने से रोकना या सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना अवैध है।
- **किसी को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर करना:** अगर कोई एससी/एसटी व्यक्ति को अपने गांव या घर से बाहर जाने के लिए मजबूर करता है, तो इसे अपराध माना जाता है।

प्रमुख बिंदु:

- कानून इन अत्याचारों को करने वाले किसी भी व्यक्ति को कारावास के साथ दंडित करता है, कुछ वर्षों से लेकर जीवन भर, गंभीरता के आधार पर।
 - ये कानून सुनिश्चित करते हैं कि एससी/एसटी समुदायों को भेदभाव, उत्पीड़न और हिंसा से बचाया जाए जो उन्हें उनकी जाति या जनजाति के कारण निशाना बनाते हैं।
- धारा 3 एससी/एसटी व्यक्तियों को सामाजिक अन्याय से बचाने और उनकी गरिमा, अधिकारों और संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करने की नींव रखती है।
- **धारा 4:** सार्वजनिक अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने पर ध्यान केंद्रित करता है यदि वे अत्याचार होने पर कार्य करने में विफल रहते हैं। यदि कोई अधिकारी ऐसे अपराधों से अवगत है और उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करता है या अत्याचारों की रिपोर्टों पर कार्रवाई करने में विफल रहता है, तो उन्हें दंडित किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी अधिकारी एससी/एसटी व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं।
 - **धारा 14:** इस अधिनियम के तहत मामलों को संभालने के लिए समर्पित विशेष अदालतों की स्थापना को अनिवार्य करती है। इन अदालतों का उद्देश्य तेजी से कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित करना, पीड़ितों को समय पर न्याय प्रदान करना और अनावश्यक देरी को रोकना है। इसके अनुरूप, धारा 15 विशेष लोक अभियोजकों, कानूनी पेशेवरों की नियुक्ति की अनुमति देती

है जो विशेष रूप से एससी / एसटी मामलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें परिश्रम और व्यावसायिकता के साथ संभाला जाए।

- **धारा 15:** यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) से जुड़े मामलों को उचित रूप से संभाला जाता है, यह धारा विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति का प्रावधान करती है। ये कानूनी पेशेवर विशेष रूप से एससी और एसटी मामलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन पर कुशलतापूर्वक और पेशेवर रूप से मुकदमा चलाया जाए।
- **धारा 18:** इस कानून की धारा 18 एससी/एसटी समुदायों के सदस्यों के खिलाफ अत्याचार करने के आरोपी व्यक्तियों को अग्रिम जमानत देने पर रोक लगाती है। इसका मतलब यह है कि ऐसे अपराधों के आरोपी व्यक्ति अग्रिम में गिरफ्तारी से सुरक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह प्रावधान न्याय से बचने की मांग करने वाले शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा कानूनी प्रणाली के दुरुपयोग को रोकने के लिए बनाया गया है।

3. विशेष न्यायालय:

- अधिनियम एससी और एसटी के खिलाफ किए गए अपराधों के परीक्षण के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना का आदेश देता है। इन न्यायालयों की अध्यक्षता सत्र न्यायाधीश द्वारा की जानी होती है।
- इन अदालतों में कार्यवाही का उद्देश्य आरोप पत्र दाखिल करने के दो महीने के भीतर पूरा करने के प्रावधान के साथ त्वरित होना है।

4. राहत और पुनर्वास:

- इस अधिनियम में पीड़ितों और उनके आश्रितों को राहत और पुनर्वास का प्रावधान है।
- वित्तीय सहायता, भोजन, कपड़े, आश्रय, चिकित्सा सहायता आदि के रूप में तत्काल राहत प्रदान की जानी है।

संशोधन

❖ SC/ST संशोधन अधिनियम, 2015:

- इस संशोधन ने अपराधों की सूची का विस्तार किया और मौजूदा अपराधों के लिए दंड में वृद्धि की।
- इसमें यौन शोषण, एससी/एसटी के किसी मृत सदस्य का अनादर और आर्थिक शोषण जैसे अपराधों की नई श्रेणियां शामिल थीं।

❖ SC/ST संशोधन अधिनियम, 2018:

- यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को रद्द करने के लिए पेश किया गया था जिसने अधिनियम के प्रावधानों को कमजोर कर दिया था।
- इसने अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की आवश्यकता और आरोपी व्यक्तियों के लिए अग्रिम जमानत के प्रावधान को हटा दिया।

कार्यान्वयन और चुनौतियां

5. कानून प्रवर्तन:

- अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों से सहयोग की आवश्यकता होती है। हालांकि, पुलिस अधिकारियों द्वारा गैर-अनुपालन और उपेक्षा के उदाहरण सामने आए हैं।

6. कानूनी जागरूकता:

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जागरूकता की कमी एक महत्वपूर्ण चुनौती है।

समाप्ति

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, भारत में हाशिए के समुदायों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बड़े पैमाने पर समाज से निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है। अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने और सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता, संवेदीकरण और कानून का सख्त प्रवर्तन आवश्यक है।

"लोकतंत्र केवल सरकार का एक रूप नहीं है। यह मुख्य रूप से एक साथ मिलकर रहने का तरीका है, जहां लोग एक-दूसरे के साथ विचार और अनुभव साझा करते हैं। यह मूल रूप से दूसरों के प्रति सम्मान और आदर का भाव है।"

-बाबा साहेब अंबेडकर

VII. मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013

मैनुअल स्कैवेंजिंग: एक मानवाधिकार उल्लंघन

मैनुअल स्कैवेंजिंग अस्वच्छ शौचालयों, खुली नालियों, या अन्य क्षेत्रों से मानव मल को मैनुअल रूप से साफ करने, ले जाने, निपटाने या अन्यथा संभालने का अभ्यास है जहां मानव अपशिष्ट का निपटान किया जाता है। यह अपमानजनक काम भारत की जाति व्यवस्था में गहराई से निहित है, जहां कुछ समुदायों, जिन्हें अक्सर दलित कहा जाता है, को मुगल काल से ऐतिहासिक रूप से इस कार्य को करने के लिए हटा दिया गया है और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान इसे औपचारिक रूप दिया गया है।

हाथ से मैला ढोने का प्रभाव हाशिए के समुदायों, विशेषकर दलितों और महिलाओं द्वारा असमान रूप से वहन किया जाता है। भारत में लगभग 95% मैनुअल स्कैवेंजर्स महिलाएं हैं, जिन्हें उनके लिंग और जाति के कारण जटिल भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यह जनसांख्यिकीय अक्सर गरीबी और सामाजिक बहिष्कार के चक्र में फंस जाता है, शिक्षा और वैकल्पिक रोजगार के अवसरों तक सीमित पहुंच के साथ।

कार्य में मानव अपशिष्ट के साथ सीधे संपर्क शामिल है, अक्सर बिना किसी सुरक्षात्मक गियर के, श्रमिकों को संक्रमण और पुरानी बीमारियों सहित गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों के लिए उजागर करना। इस काम का शारीरिक और मनोवैज्ञानिक टोल बहुत बड़ा है, जिसमें शामिल लोगों के लिए सामाजिक कलंक और अलगाव होता है। सिर पर मैला ढोने वालों को "अछूत" मानने की सामाजिक धारणा उनके हाशिए पर होने की स्थिति को और मजबूत करती है, जिससे वे भेदभाव करते हैं और उन्हें मुख्यधारा की सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों से बाहर रखा जाता है।

मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013

इस कानून का उद्देश्य हाथ से मैला ढोने पर रोक लगाना और प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास की व्यवस्था करना है। हालांकि, इस अधिनियम का कार्यान्वयन अब तक प्रभावी नहीं रहा है, जिससे कई मैनुअल स्कैवेंजर्स खतरनाक परिस्थितियों में काम करने को मजबूर हैं। मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 भारत में हाथ से मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कानून है। इसे विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

अस्वच्छ शौचालयों का निषेध और हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में रोजगार

- अस्वच्छ शौचालयों के निर्माण या रखरखाव पर प्रतिबंध लगाता है (धारा 5)।
- हाथ से मैला ढोने वाले के रूप में किसी की सगाई या रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है (धारा 3)।
- उल्लंघन के परिणामस्वरूप पहले अपराध के लिए 1 वर्ष तक का कारावास या ₹50,000 का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। बाद के अपराधों के लिए, कारावास 2 साल तक या ₹ 5 लाख का जुर्माना या दोनों (धारा 8) हो सकता है।

खतरनाक मैनुअल स्कैवेंजिंग का निषेध

- किसी व्यक्ति को सीवर या सेप्टिक टैंक की खतरनाक सफाई के लिए लगे या नियोजित होने से रोकता है।
- पहली बार अपराध करने पर 1 साल तक की कैद या 2 लाख रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसके बाद के अपराधों के परिणामस्वरूप 5 साल तक का कारावास या ₹5 लाख का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं (धारा 9)।

मैला ढोने वालों की पहचान और उनका पुनर्वास

- समयबद्ध ढांचे के भीतर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हाथ से मैला ढोने वालों के सर्वेक्षण को अनिवार्य करता है (धारा 11)।
- समयबद्ध तरीके से सिर पर मैला ढोने वालों के पूर्ण पुनर्वास का प्रावधान करता है (धारा 13)।

निगरानी तंत्र

- कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक केंद्रीय निगरानी समिति और राज्य निगरानी समितियों का गठन (धारा 31)।
- शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK) को सशक्त बनाता है (धारा 31)।

अपराध और कानूनी कार्यवाही

- अधिनियम के तहत अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती हैं (धारा 20)।
- अपराधों के प्रवर्तन और जांच के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान करता है (धारा 18)।

इस अधिनियम का उद्देश्य हाथ से मैला ढोने की प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित करना, मैला ढोने वालों के पुनर्वास का प्रावधान करना और उल्लंघन के लिए निगरानी तंत्र और दंड लागू करना है। व्यापक पुनर्वास पैकेज में आजीविका विकास, बच्चों के लिए शिक्षा तक पहुंच और वैकल्पिक रोजगार शामिल हैं।

आलोचनात्मक विश्लेषण और खामियां:

धारा 2 (1) (d): अधिनियम में "खतरनाक सफाई" की परिभाषा से नाली या मैनहोल की सफाई के दौरान हादसों और मौतों का खतरा बढ़ सकता है। अधिनियम के अनुसार, नियोक्ता को सुरक्षा नियमों का पालन कराना होता है, लेकिन सुरक्षा उपकरण और गियर देना जरूरी नहीं होता। बड़ी चिंता यह है कि सफाई के दौरान कौन-कौन से सुरक्षा गियर और उपकरण जरूरी होंगे। इसके बजाय, मैनहोल में तभी काम कराया जाए जब बहुत जरूरत हो। यह भी पक्का किया जाए कि काम करने वालों के पास ऑक्सीजन टैंक, टॉर्च और निगरानी के सभी जरूरी उपकरण हों। कामगारों को फायर ब्रिगेड जैसी संस्थाओं से प्रशिक्षण दिलाना चाहिए और केवल प्रशिक्षित लोगों को ही अंदर जाने की अनुमति होनी चाहिए।

धारा 2 (1) (e): भारतीय रेलवे, जो लंबे समय से हाथ से मैला ढोने की वकालत करते रहे हैं, अब इस कानून की बदौलत अस्वच्छ शौचालयों की धारणा से मुक्त हैं। नतीजतन, वे हाथ से मैला ढोते रहेंगे। अभी भी यात्रियों को ट्रेन स्टेशनों में मानव अपशिष्ट को मैनुअल रूप से साफ करने का एक व्यापक अभ्यास है जो पानी के फ्लश शौचालयों का उपयोग करते हैं।

धारा 2 (1) (g): प्रावधान विशेष रूप से अस्वच्छ शौचालयों, गड्डों या बिना ढके नालों को संबोधित करता है। भारत में शहरीकरण तेजी से आगे बढ़ रहा है। शहरीकरण और अपर्याप्त सार्वजनिक और निजी स्वच्छता सुविधाओं ने खुले में शौच की व्यापकता को जन्म दिया है, जिससे हाथ से मैला ढोने की प्रथा बढ़ गई है। इसके अलावा, 2 (1) (b) में स्पष्टीकरण ने अधिनियम के सार को कमजोर कर दिया है कि सुरक्षात्मक उपकरणों के साथ मैनुअल स्कैवेंजिंग का संचालन किया जा सकता है, जिससे अभ्यास को वैधता प्रदान की जा सकती है। हाथ से मैला ढोने की प्रथा स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित होगी।

धारा 4 (1): कानून पूरी तरह से अस्वच्छ शौचालयों की पहचान से संबंधित है। फिर भी, यह उन स्थानों की पहचान को संबोधित नहीं करता है जहां खुले में शौच होता है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ व्यक्तियों को शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों से मानव अपशिष्ट को मैनुअल रूप से हटाने की आवश्यकता होती है। पेशेवर क्रेडेंशियल्स वाली एजेंसी को अस्वच्छ शौचालयों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए, और सर्वेक्षण के लिए दो महीने की समय सीमा अपर्याप्त है।

धारा 4 (2): कई शहरी क्षेत्रों में, खुले में शौच के बाद, हाथ से मैला ढोने की प्रथा इस अधिनियम की शुरुआत की तारीख से तीन साल तक जारी रहेगी।

धारा 39 (1): अधिनियम में एक महत्वपूर्ण खामी है क्योंकि यह सरकार को कुछ कानूनी प्रावधानों को छूट देने का अधिकार देता है। नतीजतन, हाथ से मैला ढोने की प्रथा जारी रहेगी। यह आश्चर्यजनक है कि, नीति को आगे बढ़ाना चाहिए, सबसे गंभीर कार्यों को विशेष उदाहरणों में छह महीने तक जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। संवैधानिक सुरक्षा के बावजूद, हाथ से मैला ढोने वाले अक्सर भेदभावपूर्ण प्रथाओं में संलग्न होते हैं। इसके कई स्पष्टीकरण हैं। बाद में कई कारण बताए गए हैं:

1. चूंकि भारत एक संघीय लोकतंत्र है और स्वच्छता इसके राज्यों द्वारा शासित होती है (प्रविष्टि 6, सूची II, अनुसूची VII, भारत का संविधान), मैनुअल स्कैवेंजिंग निषेध का प्रवर्तन पूरी तरह से राज्य प्राधिकरण पर निर्भर है। नतीजतन, संघीय सरकार के पास एकीकृत राष्ट्रीय उपायों को लागू करने के अधिकार का अभाव है।
2. कानून मौजूदा योजनाओं के अनुसार मैला ढोने वालों के पुनर्वास को अनिवार्य करता है, फिर भी इन योजनाओं के पिछले पुनरावृत्तियों ने इस प्रथा को खत्म करने में सफलता नहीं पाई है।
3. सार्वजनिक अधिकारियों की मानसिकता, कानून के अलावा, मेहतर की दुर्दशा को बढ़ाती है। सरकार ने जवाबदेही और समर्पण की कमी को प्रदर्शित करते हुए, इस मुद्दे को हल करने के लिए समय-सीमा को लम्बा खींचने का लगातार प्रयास किया है।

नतीजतन, वर्तमान कानूनी ढांचा हाथ से मैला ढोने वालों की गरिमा की अपर्याप्त रूप से रक्षा करता है। वर्तमान कानून में संशोधन, एक मजबूत प्रवर्तन तंत्र और सामाजिक मानसिकता में बदलाव आवश्यक है।

VIII. बिहार में महिलाओं के लिए सभी हेल्पलाइन की सूची

क्र.सं.	जिला	हेल्प लाइन का पता	परियोजना प्रबंधक सह संरक्षण अधिकारी	संपर्क नं.
1	अरवल	महिला हेल्पलाइन, कलेक्ट्रेट अरवल	श्रीमती सिम्पू कुमारी	9771468002
2	औरंगाबाद	महिला हेल्पलाइन, कलेक्ट्रेट, औरंगाबाद	श्रीमती कांति कुमारी	9771468003
3	बांका	महिला हेल्पलाइन, सीडीपीओ कार्यालय, बांका सदर, बांका	अंजनी कुमारी (प्रभारी)	9771468004
4	भागलपुर	हेल्पलाइन-कम-महिला कोशंग भागलपुर, एस।एस।पी ऑफिस, कचहरी रोड, भागलपुर	सुश्री निशा शर्मा	9771468006
5	भोजपुर	महिला हेल्पलाइन, मधुबाग, नवादा (लालटोली), आरा (भोजपुर)	सुश्री अनुपमा श्रीवास्तव	9771468007
6	दरभंगा	महिला हेल्पलाइन, कलेक्ट्रेट कैपस, दरभंगा	सुश्री Azzmatun निशा	9771468010
7	पूर्वी चंपारण	महिला हेल्पलाइन, कलेक्ट्रेट कैपस, मोतिहारी	दीक्षा कुमारी (इंचार्ज)	8757797128
8	गया	महिला हेल्पलाइन, कलेक्ट्रेट गया	एमआरएस। आरती कुमारी	9771468011
9	जमुई	महिला हेल्पलाइन, कलेक्ट्रेट कैपस, जमुई	रीता कुमारी (प्रभारी)	9771468013
10	जहानाबाद	हेल्पलाइन कोशंग, कलेक्ट्रेट, जहानाबाद	सुश्री ज्योत्सना कुमारी	9771468014
11	कटिहार	महिला हेल्पलाइन, कलेक्ट्रेट कैपस, कटिहार	सुश्री प्रभा कुमारी	9771468016
12	खगड़िया	महिला हेल्पलाइन, कलेक्ट्रेट कैपस, खगड़िया	सुश्री रूबी सीमा	9102407316
13	मुंगेर	महिला हेल्पलाइन, कलेक्ट्रेट, मुंगेर	सुश्री श्रीप्र कुमारी	9771468020
14	मुजफ्फरपुर	महिला हेल्पलाइन, साहू रोड, मुजफ्फरपुर	समत। ज्योति कुमारी	9771468021
15	नालंदा	महिला हेल्पलाइन, कलेक्ट्रेट, नालंदा	इंदु प्रभा (प्रभारी)	8789252708

16	नवादा	महिला कोशांग सह परामर्श केंद्र, नवादा, कलेक्ट्रेट, दूसरी मंजिल, मेन रोड, नवादा-805110	एमआरएस। राजकुमारी देवी	9771468023
17	पटना	ओएससी सह महिला हेल्पलाइन, छज्जूबाग, पटना-800001	समत। परमिला कुमारी	8771468024
18	पूर्णिया	वूमेन हेल्प लाइन, कैलाशपुरी, श्रीनगर हाता, पूर्णिया	श्रीमती अनीता कुमारी	9771468025
19	रोहतास	महिला हेल्पलाइन, कलेक्ट्रेट कैंपस, रोहतास	सुश्री आफरीन ट्रानम	9771468026
20	समस्तीपुर	महिला हेल्पलाइन, कलेक्ट्रेट कैंपस, विकास भवन, समस्तीपुर	कुमारी अर्चना	9771468028
21	शेखपुरा	महिला हेल्पलाइन, कलेक्ट्रेट, शेखपुरा	सुश्री अर्पिता के.आर.	9771468032
22	सिवान	महिला हेल्पलाइन, रेड क्रॉस, सीवान	सुश्री श्वेता कुमारी	9771468031
23	वैशाली	महिला हेल्पलाइन, कलेक्ट्रेट, एसडीओ कार्यालय के पास, हाजीपुर, वैशाली	सुश्री प्रियंका कुमारी	9771468035
24	पश्चिम चंपारण	महिला हेल्पलाइन, कलेक्ट्रेट, बेतिया	श्रीमती बिंदु राजभर	9771468009
25	सुपौल	महिला हेल्पलाइन, विकास भवन, एसडीओ कार्यालय, सुपौल	एमएस। प्रतिभा कुमारी	9771468034
26	बक्सर	महिला हेल्पलाइन, कलेक्ट्रेट कैंपस, बक्सर	सुश्री बंटी देवी	9771468008
27	कैमूर भभुआ	महिला हेल्पलाइन, 10, चकबंदी रोड, डॉ. मंगला सिंह के निवास के पास, भभुआ, कैमूर	कुमारी विनीता गुप्ता	9771468015
28	सीतामढ़ी	महिला हेल्पलाइन, स्वर्गीय तकेनाथ झा, आजाद चौक, डुमरा, सीतामढ़ी-843301 के केंद्र	सुश्री पुष्पा कुमारी	9771468030
29	शिवहर	महिला हेल्प लाइन, कलेक्ट्रेट, शिवहर	सुश्री रीना सिंह	9771468033
30	सारन	महिला हेल्पलाइन, कलेक्ट्रेट, सारन	श्रीमती मधुबाला	9771468029
31	गोपालगंज	महिला हेल्पलाइन, कलेक्ट्रेट, गोपालगंज	सुश्री नाजिया मुमताज	9771468012
32	मधुबनी	महिला हेल्पलाइन, कलेक्ट्रेट, मधुबनी	वीणा चौधरी	9771468019

33	बेगूसराय	महिला हेल्पलाइन, कलेक्ट्रेट, बेगूसराय	श्रीमती वीणा कुमारी	9771468005
34	लखीसराय	महिला हेल्पलाइन, कलेक्ट्रेट कैपस, लखीसराय	पूनम कुमारी	9102407317
35	सहरसा	महिला हेल्पलाइन, कलेक्ट्रेट कैपस, सहरसा	एमएस। मुक्ति श्रीवास्तव	9771468027
36	मधेपुरा	महिला हेल्पलाइन, कलेक्ट्रेट, मधेपुरा	सुश्री शालिनी कुमारी	9771468018
37	अररिया	महिला हेल्पलाइन, कलेक्ट्रेट, अररिया	अधिशायी मजिस्ट्रेट (प्रभारी)	9631117049
38	किशनगंज	महिला हेल्पलाइन, लाइन गुलबस्ती काजलामणि रोड, कबीर चौक, सुभाष पल्ली, पीओ+ जिला- किशनगंज-855107	सुश्री शशि शर्मा	9771468017

स्रोत- महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार (<https://wcdc.bihar.gov.in/Helpine>)

हेल्पलाइन और आपातकालीन संपर्क जानकारी बिहार के लिए:

कोटि	ब्यौरा	संपर्क नंबर
पुलिस	सामान्य आपातकाल	112, 18603456999, 0612-2201977 / 78
	जघन्य अपराध (बलात्कार/हत्या)	14432
राज्य जिला प्रशासन	सामान्य पूछताछ	0612-2219810, 2294204
पटना नगर निगम	हेल्पलाइन	18003456644
केंद्रीकृत आपातकालीन नंबर	आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली (ईआरएसएस)	112
अग्निशमन सेवाएं	आग आपातकाल	101, 0612-2222223
एम्बुलेंस	मेडिकल इमरजेंसी	102, 1911, 108
साइबर अपराध	साइबर अपराध की रिपोर्ट करें	1930
चाइल्ड हेल्पलाइन	बच्चों के लिए सहायता	1098
सतर्कता विभाग	भ्रष्टाचार की रिपोर्ट करें	0612-2217048, टोल-फ्री: 1064, 1800110180
बिहार कृषक आयोग	कृषि सहायता	0612-6452289, 2232062
मुख्यमंत्री लोक शिकायत	शिकायत निवारण	0612-2205800

आपदा प्रबंधन	बाढ़, भूकंप, या अन्य आपदा सहायता	0612-2217305
उपभोक्ता संरक्षण	उपभोक्ता अधिकार	0612-2210902
महादलित आयोग पटना	महादलितों का समर्थन	0612-2521111
नगर निगम बिहार	नगर सेवाएं	0612-2911134-35, 3261372-73
सूचना का अधिकार	सूचना का अधिकार सेवाएं	155311, 18003456777
ग्रामीण विकास	ग्रामीण सेवाएं	0612-2210000
महिला हेल्पलाइन केंद्र	महिलाओं के लिए समर्थन	18003456247, 0612-2320047, 9304264570, 0612-2214318
जिला नियंत्रण कक्ष पटना	आपातकालीन नियंत्रण कक्ष	0612-2219810
अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण सेवाएं	18003456345
पथ निर्माण विभाग	सड़क के मुद्दे	18003456161
एम्स पटना	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	वेबसाइट: aiimspatna.org , 0612-2451070, व्यवस्थापक: 0612-2451044
दरभंगा मेडिकल कॉलेज	सामान्य अस्पताल	वेबसाइट: dmch.in , आपातकालीन: 06272-256203
नालंदा मेडिकल कॉलेज	सामान्य अस्पताल	वेबसाइट: nmchpatna.org , 0612-2631159
पटना मेडिकल कॉलेज	सामान्य अस्पताल	0612-2300132, 2670132
गर्दनीबाग डिस्पेंसरी	स्थानीय औषधालय	2242309
राजेंद्र नगर औषधालय	स्थानीय औषधालय	2670044
रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया	चिकित्सा सहायता	0612-2201035
इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान	जनरल और स्पेशलिटी अस्पताल	0612-2297225, 2297631, 3023683, ब्लड बैंक: 2297631 एक्सटेंशन: 205
इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान	कार्डियोलॉजी अस्पताल	2309107, 2309160
महावीर कैंसर संस्थान	कैंसर का इलाज	0612-2250127, 2253956, 2253957

एम्बुलेंस सेवाएं	सामान्य एम्बुलेंस	102, 108, पीएमसीएच: 2681786, गर्दनीबाग: 2222309, राजेंद्र नगर: 2680044, रेड क्रॉस सोसाइटी: 2686247
पटना के ब्लड बैंक	ब्लड बैंक सेवाएं	आईजीआईएमएस: 0612-2297099, 2297631, कुर्जी पवित्र परिवार: 0612-2262540, 2262516, लाइफलाइन: 0612-2303025, 9234990509
मुजफ्फरपुर हेल्पलाइन नंबर	विभिन्न सेवाएं	नीचे मुजफ्फरपुर खंड देखें
पुलिस (मुजफ्फरपुर)	सामान्य आपातकाल	100
अग्निशमन सेवा (मुजफ्फरपुर)	आग आपातकाल	101
एम्बुलेंस (मुजफ्फरपुर)	मेडिकल इमरजेंसी	102, 1911
चाइल्ड हेल्पलाइन (मुजफ्फरपुर)	बच्चों के लिए सहायता	1098
सतर्कता विभाग (मुजफ्फरपुर)	भ्रष्टाचार की रिपोर्ट करें	0612-2217048, टोल-फ्री: 1064, 1800110180
कृषि (मुजफ्फरपुर)	किसान कॉल सेंटर	1551, 18001801551
रेल एस.पी. मुजफ्फरपुर	रेलवे पुलिस	9473096891, 9431800013
मुख्यमंत्री लोक शिकायत	शिकायत निवारण	0612-2205800
आपदा प्रबंधन	आपदा सहायता	0612-2217305
महिला हेल्पलाइन केंद्र	महिलाओं के लिए समर्थन	18003456247, 0621-6540157
अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण सेवाएं	18003456345
पासपोर्ट सेवा संपर्क	पासपोर्ट सेवाएं	1800-258-1800
महिला हेल्पलाइन नंबर	केंद्रीकृत नंबर, बिहार महिला हेल्पलाइन, महिला विकास निगम	181, 18003456247, 0612-2320047, 221431, 9304264570, 0612-2547843, 2547967, 2547968, 2547969, ईमेल: support@wdcbihar.org.in

स्रोत: <https://indianhelpline.com/bihar> (यह कोई सरकारी वेबसाइट नहीं है और न ही उनसे संबंधित है, प्रदान की गई सभी जानकारी केवल जागरूकता और कल्याण उद्देश्य के लिए है। संख्या और जानकारी समय के साथ बदलती रहती है।

डॉ. बी.आर. अंबेडकर का संविधान सभा में अंतिम भाषण का सारांश

25 नवंबर 1949

बाबा साहेब अंबेडकर जी ने 25 नवंबर, 1949 को अपने समापन भाषण में भारत के संविधान के निर्माण और इसके भविष्य के महत्व पर गहराई से विचार किया। उन्होंने लगभग तीन वर्षों तक चले गहन विचार-विमर्श का उल्लेख करते हुए कहा कि यह लंबी प्रक्रिया भारत की विविध आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर संविधान बनाने के लिए जरूरी थी। उन्होंने बी.एन. राव और एस.एन. मुखर्जी जैसे योगदानकर्ताओं को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने इस दस्तावेज को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई।

डॉ. अंबेडकर ने संविधान को सामाजिक बदलाव का एक साधन बताया और इस बात पर जोर दिया कि इसका सफल क्रियान्वयन उन लोगों की ईमानदारी और समर्पण पर निर्भर करता है जो इसे लागू करते हैं। उन्होंने कहा कि शासन की गुणवत्ता यह तय करती है कि संविधान अच्छा साबित होगा या नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान को समय और समाज के बदलाव के अनुसार लचीला होना चाहिए।

उन्होंने समानता और स्वतंत्रता के आपसी संबंध पर जोर दिया और चेतावनी दी कि असमानता स्वतंत्रता को खत्म कर सकती है और शक्तिशाली लोगों के हाथों में ताकत केंद्रित कर सकती है। उनके अनुसार, लोकतंत्र तभी पनपेगा जब समानता और स्वतंत्रता साथ-साथ बनी रहेंगी। उन्होंने भाईचारे (फ्रैटर्निटी) को भारत जैसे विविधता वाले देश की एकता के लिए अनिवार्य बताया और समुदायों के बीच आपसी सम्मान और समझ विकसित करने की बात कही।

अंत में, उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि वे लोकतंत्र को कमजोर करने वाली समस्याओं को पहचानें और उन्हें दूर करने के लिए कदम उठाएं। उन्होंने एक ऐसे शासन की कल्पना की जो "जनता का, जनता द्वारा, और जनता के लिए" हो और चेतावनी दी कि लापरवाही से संविधान की मूल भावना कमजोर हो सकती है।

डॉ. अंबेडकर का यह भाषण आज भी समानता, स्वतंत्रता, और भाईचारे जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए प्रेरणा देता है।



शिक्षित बनो !
संगठित रहो!
संघर्ष करो!

हमारा पता:

रोड न.-14, चन्द्र विहार कॉलोनी,
नेपाली नगर, राजीव नगर (पश्चिम),
पटना-800025



स्कैन करें!